



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
वार्षिक रिपोर्ट  
2022-2023

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

निदेशक मंडल (16 अगस्त 2023 तक)

निदेशक

श्रीमती सरिता देवी  
श्रीमती संगीता देवी  
श्रीमती ममता सिंह  
श्रीमती आराधना  
श्रीमती बबीता  
श्रीमती ममता देवी  
श्रीमती श्यामलता सिंह  
श्रीमती मंशा कुमारी  
श्रीमती अंजना सिंह

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक  
विशेषज्ञ निदेशक

डॉ. मनवीर सिंह  
डॉ. सी. पी. देवानंद  
डॉ. संजय गोवानी

कंपनी सचिव

श्रीमती प्रियंका सत्यवली

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एन.आर. एंड एसोशिएट,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स रे एंड रे चार्टर्ड एकाउंटेंट

बैंकर्स:

इंडियन बैंक  
आईसीआईसीआई बैंक  
बैंक ऑफ इंडिया  
भारतीय स्टेट बैंक

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,  
पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

ईमेल: [info@kasheemilk.com](mailto:info@kasheemilk.com)

फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

## अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं
1	निदेशक की रिपोर्ट	4-15
2	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	16-28
3	वार्षिक लेखा विवरण <ul style="list-style-type: none"><li>• 31 मार्च 2023 को अंखेक्वित आर्थिक चिट्ठा</li><li>• 31 मार्च 2023 के लिए लाभ हानि खाता</li><li>• रोकड़ प्रवाह विवरण</li></ul>	29-31
4	लेखांकन टिप्पणियाँ ( Notes To Accounts)	32-59
5	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र तथा अनुलग्न	60-72

## निदेशक की रिपोर्ट

### काशी दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को

निदेशकों को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी को 11/11/2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के तहत एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के 700 गांवों को आच्छादित करने के उद्देश्य से डेयरी मूल्य श्रृंखला विकास पर केंद्रित थी। कंपनी को क्षेत्र के दूध उत्पादकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

### वित्तीय परिणाम और कंपनी के मामलों की स्थिति-

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे संक्षेप में दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)
परिचालन से राजस्व	3164.84	18.47
अन्य आय	497.82	42.74
<b>कुल आय</b>	<b>3662.66</b>	<b>61.21</b>
कुल व्यय	3410.36	60.72
<b>लाभ / (हानि) कर पूर्व</b>	<b>252.29</b>	<b>0.50</b>
कर व्यय	-1.75	.08
<b>कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)</b>	<b>254.04</b>	<b>0.42</b>

वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के रुपये 61.21 लाख की तुलना में रुपये 3662.66 लाख का कुल राजस्व प्राप्त किया। इसका मुख्य कारण दुग्ध व्यवसाय से राजस्व आय में वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने पिछले वर्ष के 0.42 लाख रुपये के मुकाबले रुपये 254.04 लाख का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

### सीमित रिटर्न (लाभांश)

निदेशक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100/- रुपये मूल्य के 71428 इक्विटी शेयरों पर 8/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की अनुषंशा करते हुए प्रसन्न हैं। इक्विटी शेयरों पर लाभांश तीसरी वार्षिक आम सभा ("एजीएम") में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। एक बार सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर लाभांश उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होंगे। यदि लाभांश अनुमोदित हो जाता है, तो परिणामस्वरूप रुपये 5,71,424/- का नकद बहिर्वाह होगा।

## सामान्य आरक्षित निधि (जनरल रिज़र्व) में स्थानांतरण

सामान्य आरक्षित निधि (जनरल रिज़र्व) वह राशि है जो कंपनी के सामान्य संचालन के दौरान भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके लाभ से अलग रखी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZI के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्या 11.10 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मण्डल कंपनी के कर पश्चात लाभ में से रुपये 254.04/- लाख वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बैलेंस शीट में सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है।

## कंपनी का संचालन

31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों: चंदौली, गाज़ीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र को आच्छादित करते हुए 310 गांवों में दूध संकलन केंद्र (एमपीपी) स्थापित किए हैं। ये एमपीपी कंपनी को इन गांवों से विश्वसनीय रूप से दूध खरीदने में सक्षम बनाते हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसतन 17063.40 लीटर के साथ कुल 62,28,140 लीटर दूध एकत्र किया। वित्तीय वर्ष के अंत तक, कंपनी के संचालन पर विश्वास करने वाले 11,239 सदस्य जुड़े हुये थे। यह सकारात्मक संकेत कंपनी के लिए एक शानदार विकास यात्रा के प्रारम्भ का संकेत देता है, जिससे सदस्यों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से भविष्य में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।

कंपनी ने उन सदस्यों को जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया एवं व्यवसाय में नियमित रूप से योगदान दिया, उनकी निष्ठा को स्वीकार करते हुए, रुपये 9,36,859/- का लॉयल्टी प्रोत्साहन दिया।

दूध क्रय मूल्य के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को दूध आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

कंपनी अपनी प्रक्रियाओं में सुधार और लागत में कटौती करके उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके लिए उठाए गए कुछ उपायों में लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करना सम्मिलित है।

## गुणवत्ता आश्वासन

दूध विश्व के बहुत लोगों के लिए एक बुनियादी पोषण है। दूध की गुणवत्ता, दूध उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इसके स्वाद और पोषण को भी प्रभावित करती है। कई चीजें दूध में सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए कच्चे दूध की गुणवत्ता की तुरंत जांच करना अति महत्वपूर्ण है (इसके अवयवों जैसे वसा और प्रोटीन और इसकी स्वच्छता जैसे बैक्टीरिया, कोशिकाओं, दावा अवशेष और पानी को देखते हुए)। अच्छे डेयरी उत्पाद बनाने के लिए कच्चे दूध की उच्च गुणवत्ता आवश्यक है। दूध की गुणवत्ता यह भी तय करती है कि किसान इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकता है।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी हमेशा हर कदम पर गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है। हमारे दूध अवशीतन केंद्रों (एमसीसी) में आवश्यक दूध परीक्षण सुविधाएं हैं। हम दूध का परीक्षण करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वॉटर बाथ, वॉर्टेक्स शेकर्स, ओवन, बीआर मीटर और रेफ्रिजरेटर आदि यंत्रों का उपयोग करते हैं। ग्रामीण स्तर पर भी, हम दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करते हैं। किसानों से एमपीपी

तक और वहां से दूध अवशीतन केंद्रों (बीएमसी)/एमसीसी तक दूध एकत्र करने और भेजने के लिए हमारे पास मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) हैं। हम अच्छी गुणवत्ता वाला दूध संकलित करने के लिए सहायकों और फील्ड स्टाफ को भी प्रशिक्षित करते हैं।

उपयोग में आने वाले बीएमसी कच्चे दूध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए आवश्यक परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कंपनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी संबंधित लोगों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है और लगातार कर रही है जो सीधे दूध की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है।

FSSAI लाइसेंस, बाँट-माप आदि जैसे आवश्यक नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

### **उत्पादकता संवर्धन सेवाएँ**

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में डेयरी पशुओं के लिए उत्पादकता वृद्धि सेवाएं (पीईएस) भी शुरू की। इनमें कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (MAIT) की पहचान करना और प्रशिक्षण देना, घर-पहुँच कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना, गर्भावस्था निदान, संतुलित पशु आहार और पूर्वाचल विशिष्ट चलेटेड खनिज मिश्रण, थनैला की जांच करना और बांझपन और स्वास्थ्य प्रबंधन शिविरों और डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन करना शामिल है।

### **पशु आहार**

अपने उत्पादक सदस्यों को सशक्त बनाने में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता के रूप में, कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार उपलब्ध कराने की आवश्यक सेवा प्रदान करती है। यह पहल सदस्यों के पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और उत्पादकता वृद्धि हेतु परिकल्पित की गई है, जिससे दूध उत्पादन में सुधार होगा और आय में भी वृद्धि होगी जिससे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।

कंपनी "हर घर काशी" ब्रांड नाम के तहत "यूरिया मुक्त" संतुलित पशु आहार (BIS टाइप II) उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 410 मीट्रिक टन पशु आहार उपलब्ध कराया।

### **खनिज मिश्रण**

खनिज विभिन्न शारीरिक कार्यों जैसे सुदृढ़ अस्थियां, प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रजनन स्वास्थ्य आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहा खनिज मिश्रण क्षेत्र में आमतौर पर पाई जाने वाली विशिष्ट खनिज की कमियों को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। यह तदनुकूल दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि पशुधन को उत्तम स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज प्राप्त हों।

कंपनी अपने उत्पादक सदस्यों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर "हर घर काशी" ब्रांड नाम के अंतर्गत वैज्ञानिक रूप से तैयार पूर्वाचल विशेष चलेटेड खनिज मिश्रण उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 6171 किलोग्राम खनिज मिश्रण उपलब्ध कराया।

### **चारा विकास**

कंपनी सक्रिय रूप से चारा विकास को प्रोत्साहित कर पशुपालन में अपने सदस्यों को संबल प्रदान करती है। इस पहल के माध्यम से, सदस्यों को उन्नत चारे की किस्मों और दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उनके पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि होती है। कंपनी द्वारा क्षेत्र में एक नई चारा फसल राई घास (मक्खन घास) से परिचय कराया गया और इसे उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।

### घर पहुँच कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ

कृत्रिम गर्भाधान एक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक है जिसमें मादा पशु को सावधानीपूर्वक चयनित वीर्य से गर्भित कराया जाता है, जिससे नियंत्रित और बेहतर प्रजनन परिणाम सुनिश्चित होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का उपयोग करके, उत्पादक सदस्य अपने पशुधन की उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, जिससे डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन में वृद्धि होगी

कंपनी के प्रशिक्षित सचल कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (MAIT), कृत्रिम गर्भाधान की पूरी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उत्तम परिणाम और पशुओं का अच्छा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाता है।

कृत्रिम गर्भाधान सेवा, सतत पशुधन विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बेहतर प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, यह पहल पशुपालकों के समग्र विकास और स्थिरता में योगदान देती है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में, कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से पशुधन प्रजनन और स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है :

- **कृत्रिम गर्भाधान:** उच्च आनुवंशिकता वाले वीर्य डोसेज के प्रयोग द्वारा कुल 2,756 कृत्रिम गर्भाधान संपादित किए गए। इस उन्नत प्रजनन तकनीक के प्रयोग से उत्पादक सदस्यों को बेहतर आनुवंशिकी मिलना संभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उनके पशुधन उत्पादकता में सुधार हुआ।
- **प्रशिक्षण:** कंपनी ने कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने के लिए 25 मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (MAIT) को प्रशिक्षित किया। इन कार्यकर्ताओं ने प्रजनन प्रक्रिया के दौरान सदस्यों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **पशु स्वास्थ्य और बांझपन निवारण शिविर:** कंपनी ने 30 पशु स्वास्थ्य और बांझपन निवारण शिविर आयोजित किए, जहां कुल 512 पशुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। इन शिविरों का उद्देश्य पशुधन के समग्र स्वास्थ्य और प्रजनन में सुधार करना था।

### रोग निरोधक पशु स्वास्थ्य पहल

- **थनैला की रोकथाम:** थनैला, एक महत्वपूर्ण बीमारी जो दूध उत्पादन में भारी कमी और उससे उत्पादकों को आर्थिक नुकसान का कारण बनती है, का शीघ्र पता लगाने के लिए एक सरल और किफायती परीक्षण, कैल्फोर्निया मेस्टायटिस टेस्ट (CMT) प्रारम्भ किया गया है। यह परीक्षण सबक्लिनिकल थनैला, जहां लक्षण आम तौर पर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं, का निदान करने में बहुत उपयोगी है। क्षेत्र में डेयरी किसानों के बीच भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

- **कृमि मुक्ति (डीवर्मिंग):** परजीवी संक्रमण को रोकने और पशुओं के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए कृमि मुक्ति किया जाना महत्वपूर्ण है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अन्तःपरजीवी नियंत्रण करने के लिए कृमि नाशक दवा के कुल 490 बोलस वितरित किए।

### **क्षमता निर्माण**

- **डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण:** डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण, सफल डेयरी फार्मिंग के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। पशु चिकित्सकों/पीईएस कर्मचारियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में, डेयरी किसानों को डेयरी के उत्पादन में सुधार करना, डेयरी फार्म का प्रबंधन करना और डेयरी व्यवसाय से लाभप्रदता बढ़ाना सिखाया जाता है। सदस्यों को स्वच्छ दूध उत्पादन, बछड़े को दूध पिलाने का प्रबंधन, खुला आवास, पानी देना, निवारक स्वास्थ्य और उचित शेड जैसे कई उत्तम डेयरी प्रबंधन अभ्यास भी सिखाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 142 डेयरी किसानों को उत्तम डेयरी प्रबंधन प्रथाओं में प्रशिक्षित किया गया।

### **उत्पादक संस्था निर्माण (PIB)**

उत्पादक संस्था निर्माण (PIB) उन संस्थानों को बनाने और मजबूत करने की एक प्रक्रिया है जिनका स्वामित्व और प्रबंधन उत्पादकों के पास होता है। उत्पादक संस्था निर्माण का लक्ष्य अपने सदस्यों की जागरूकता, भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाकर निर्माता संस्थानों के प्रशासन, प्रदर्शन और स्थिरता में सुधार करना है।

उत्पादक संस्था निर्माण का उद्देश्य अपने सदस्यों के ज्ञान, भागीदारी और शक्ति को बढ़ाकर संगठन को बेहतर ढंग से प्रबंधित, अधिक कुशल और अधिक स्थायी बनाना है। उत्पादक संस्था निर्माण, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रबंधन प्रणालियों के जरिए और सदस्यों को कंपनी की सेवाओं से कितना लाभ मिलता है, इसके आधार पर योगदान करने की आवश्यकता के द्वारा निर्माता कंपनी को अन्य डेयरी उद्यमों से खुद को अलग करने में मदद करता है।

### **एमपीसी के मुख्य डिजाइन सिद्धांत**

- केवल सदस्यों के साथ व्यवसाय।
- सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यवसाय और शासन में उनकी भागीदारी।
- संरक्षण के अनुपात में सदस्य इक्विटी।
- सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उचित तंत्र।
- जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक रूप से प्रबंधित व्यवसाय संचालन और पर्याप्त पैमाने की अर्थव्यवस्था।
- सदस्यों को अधिकतम रिटर्न देने के लिए एक कुशल मूल्य श्रृंखला प्रबंधन का निर्माण करना।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आवश्यकता-आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और डेटा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

### **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

कंपनी सदस्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करती है। ये कार्यक्रम उत्पादक सदस्यों को कंपनी के अंशधारक के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने, उनको उत्तम पशुपालन



प्रथाओं को अपनाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता करने, गुणवत्ता वाले इनपुट और उत्पादों को बाजार तक उपलब्ध कराकर उनकी आय और उत्पादन को बढ़ावा देने और उनके संचालन के लिए उद्यम कुशलता से उनकी शासन और प्रबंधन दक्षताओं को विकसित करने में सक्षम बनाते हैं।

नए उत्पादक सदस्यों को जोड़ने के लिए, सदस्यों और संभावित सदस्यों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहायक और फील्ड कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम थे:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	IBP उन्मुखीकरण कार्यक्रम - फील्ड कर्मचारी	40
2.	सहायक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	263
3.	निदेशक कौशल निर्माण	5
4.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	18
5.	डेरी प्रबंधन कार्यक्रम	142

### वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सामग्री में परिवर्तन

वर्ष 2022-2023 के दौरान, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो 31 मार्च, 2023 के बाद इस रिपोर्ट की तारीख तक हुई हों। नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश, जो कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे, पारित नहीं किए गए हैं।

### व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

### शेयर पूंजी और सदस्यता

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं किया है। 31 मार्च, 2023 को अधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी की सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर पूंजी रुपये 64300/- थी और 31 मार्च 2023 को रुपये 7142800/- है। वर्ष के दौरान कंपनी ने रद्दीकरण/सरेंडर के कारण सदस्यों के 38 इक्विटी शेयर रद्द किए गए।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में कंपनी के 11239 सदस्य हैं। 31 मार्च 2023 के बाद, कंपनी ने निम्न शेयर आवंटित किए:

आवेदक का प्रकार	दिनांक	शेयर आवेदकों की संख्या	आवंटित शेयरों की संख्या	राशि (रुपये में)
नए	24 मई 2023	1474	3144	314400
मौजूदा	24 मई 2023	3291	9729	972900
नए	22 जुलाई 2023	1784	4299	429900
मौजूदा	22 जुलाई 2023	2066	10516	1051600

नए	16 अगस्त 2023	1030	2107	210700
मौजूदा	16 अगस्त 2023	3221	14694	1469400
	<b>कुल</b>	<b>9645</b>	<b>44489</b>	<b>4448900</b>

इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 15158 सदस्य है, और चुकता शेयर पूंजी राशि रुपये 11591700/- (रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख इक्यानबे हजार सात सौ मात्र) है।

### **मतदान का अधिकार और वार्षिक आम सभा में उपस्थिति**

कंपनी के लेखों के अनुसार, मतदान का अधिकार "एक सदस्य के लिए एक वोट" पर आधारित होगा, बशर्ते कि सदस्य ने एक वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर दूध डाला हो।

मताधिकार के प्रयोग के संबंध में, कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में 31 मार्च 2023 तक 11239 सदस्यों में से केवल 539 सदस्य मतदान के अधिकार के हकदार हैं, और 10700 सदस्य जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 दिनों तक कुल 500 लीटर दूध नहीं डाला था, आगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं हैं। 31 मार्च 2023 के बाद कंपनी के सदस्य के रूप में शामिल किए गए कुल 4288 नए सदस्य भी कंपनी की तीसरी वार्षिक आम सभा में वोट देने के हकदार नहीं हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, 15158 सदस्य कंपनी की तीसरी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के हकदार होंगे।

### **निदेशक मंडल**

31/03/2023 को बोर्ड की संरचना -

क्र.सं.	नाम	DIN
1	श्रीमती आराधना	09395183
2	श्रीमती ममता सिंह	09395184
3	श्रीमती बबीता	09395185
4	श्रीमती संगीता देवी	09687721
5	श्रीमती सरिता	09687193
6	डॉ. सी. पी. देवानंद	07773929
7	डॉ. मनवीर सिंह	09442343

### **बोर्ड की संरचना में परिवर्तन**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, डॉ. सी. पी. देवानंद को 16 सितंबर 2022 से कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती अंजू देवी और श्रीमती सरोज कुमारी, 26 अगस्त 2022 को कंपनी के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। बोर्ड निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करता है।

श्रीमती सरिता देवी एवं श्रीमती संगीता देवी को 26 अगस्त 2022 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

## **निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण**

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) के तहत आवश्यक है, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

ए) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है।

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू करने का निर्णय और अनुमान लगाया जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

डी) निदेशकों ने सतत संस्था के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।

ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किया तथा ऐसी प्रणालियाँ का पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम करना सुनिश्चित किया।

## **लेखा परीक्षक**

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मेसर्स एन.आर. एंड एसोसिएट्स (FRN: 312101ई) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक में कंपनी की 6वीं वार्षिक आम बैठक, वर्ष 2026 के समापन तक फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस आशय से अपनी पात्रता की पुष्टि की है कि यदि उनकी पुनर्नियुक्ति होती है तो वह अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं मिला।

## **लागत रिकॉर्ड**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधान के तहत निर्धारित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता, कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती है।

## **ऑडिटर की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी**

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व-व्याख्यात्मक हैं और किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

## **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा**

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और सभी कारोबार अधिकृत हैं, साथ ही सही ढंग से रिकॉर्ड और रिपोर्ट किए गए हैं। खातों का

आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बाहरी फर्म, मैसर्स रे और रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं ।

### **मानव संसाधन**

व्यवसाय के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, यह सुस्पष्ट है कि किसी संगठन की सफलता उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति, उसके मानव संसाधन से जुड़ी हुई है। यह विस्तारित सामग्री कंपनी के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को गहराई से उजागर करती है। उनका जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और सहयोगात्मक प्रयास कंपनी की निरंतर वृद्धि और सफलता में सहायक रहे हैं। एक सकारात्मक, सहायक और नवीन कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर, कंपनी ने एक ऐसे कार्यबल का निर्माण किया है जो उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए अत्यधिक प्रेरित है।

मानव संसाधन के महत्व को समझकर, संगठन ने एक ऐसा कार्यबल तैयार किया है जो जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व और सहयोग का प्रतीक है। । सकारात्मक, सहायक, और नवोन्मेषी कार्य संस्कृति असाधारण प्रदर्शन और निरंतर विकास हासिल करने में सहायक रही है। आगे बढ़ते हुए, कंपनी अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने, उनके मूल्य को पहचानने और एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है जहां वे आगे बढ़ सकें और संगठन की निरंतर सफलता में योगदान देना जारी रख सकें।

### **सूचना प्रौद्योगिकी**

कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानती है और कंपनी ने इसे अपने विभिन्न विभागों में निर्बाध रूप से एकीकृत किया है। वित्त और मानव संसाधन से लेकर विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तक, सूचना प्रौद्योगिकी, संचालन को अनुकूलित करने और समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। डेटा एक मूल्यवान संपत्ति है, और कंपनी व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने की इसकी क्षमता को समझती है। सूचना प्रौद्योगिकी की डेटा संग्रह, विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्णय लेने वालों को समय पर और सटीक जानकारी के साथ सशक्त बनाता है ताकि वे अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें।

चूंकि कंपनी संवेदनशील डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, इसलिए यह साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को सर्वोपरि महत्व देती है। साइबर खतरों से बचाव और ग्राहकों और हितधारकों का विश्वास बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

### **"काशी ई-डेयरी" ऐप लॉन्च किया गया**

दूध उत्पादक किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, "काशी ई-डेयरी" ऐप का अनावरण किया गया है। यह नवोन्मेषी ऐप किसानों को उनके दूध संकलन की गतिविधियों से संबंधित बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। पारदर्शिता को बढ़ावा देकर और कई लाभ प्रदान करके, "काशी ई-डेयरी" ऐप किसानों को सूचित निर्णय लेने और अपने डेयरी संचालन को अनुकूलित करने के लिए सशक्त बनाता है।

### **ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय:**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण:

- i. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित नियमों के भाग ए और बी वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- ii. विदेशी मुद्रा आय और व्यय: आय - शून्य; आउटगो - शून्य.

#### **निदेशक मण्डल बैठक**

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की सात (7) बैठकें विधिवत बुलाई गईं। विवरण निम्नलिखित हैं:

बैठक	बैठक की दिनांक
प्रथम	1 जून 2022
द्वितीय	26 जुलाई 2022
तृतीय	16 सितंबर 2022
चतुर्थ	11 नवम्बर 2022
पंचम	5 जनवरी 2023
षष्ठम	2 मार्च 2023
सप्तम	29 मार्च 2023

#### **समितियों की बैठक**

##### **हितधारक संबंध समिति (स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी)**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों को हल करने के लिए 2 मार्च 2023 को आयोजित 12वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा एक हितधारक संबंध समिति (स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी) का गठन किया गया था। इस समिति में शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	पद
1	श्रीमति सरिता देवी	अध्यक्षा
2	श्रीमति ममता सिंह	सदस्य
3	डॉ मनवीर सिंह	सदस्य

इस अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति (स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी)की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

##### **ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं दिया है।

##### **संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर्म लेंथ के आधार पर थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित

टकराव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया, । इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ ऐसा कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सके या जिसे धारा 134 (3)(एच) अधिनियम की धारा 188 के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार फॉर्म संख्या एओसी-2 में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक हो। ।

**धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जा सकती हैं:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

### **जोखिम प्रबंधन नीति**

जोखिम प्रबंधन नीति एक व्यापक और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें संभावित खतरों और अवसरों दोनों की पहचान करना, मूल्यांकन करना और प्राथमिकता देना शामिल है।

संगठन पर उनके प्रभाव को कम करने, निगरानी करने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से रणनीतिक कार्रवाइयों द्वारा संभावित अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करते हुए नकारात्मक घटनाओं की संभावना को कम करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, जोखिम प्रबंधन नीति एक अच्छी तरह से परिभाषित ढांचे को नियोजित करती है जो जोखिमों पर प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण को सुनिश्चित करती है।

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित और कार्यान्वित की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

### **डिपोसिट्स**

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर की गई जमाओं के विवरण के संबंध में कोई खुलासा या रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं थी, क्योंकि उस अवधि के दौरान कोई डिपोसिट्स नहीं लिया गया था।

### **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण**

कंपनी के पास एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और कारोबार अधिकृत रिकॉर्ड सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, डिज़ाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य सामग्री संबंधी कमज़ोरी नहीं देखी गई।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, मेसर्स रे एंड रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन और ऑडिट किया है ।

### **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा**

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और एक सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कंपनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

## निगरानी तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम 2013 के नियम 6 और 7 के साथ पठित, कंपनी पर लागू नहीं हैं

## वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

<https://www.kasheemilk.com/annual-returns/>

## अन्य खुलासे

ए) कोई भी कंपनी, कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं बनी है या बंद नहीं हुई है।

बी) नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करेगा।

सी) इंसोल्वेंसी और बैंकरपसी कोड 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू/लंबित नहीं है जो कंपनी के व्यवसाय पर भौतिक प्रभाव डालती हो।

## आभार

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी के उत्पादक सदस्यों, बिजनेस एसोसिएट्स और बैंकों द्वारा दिए गए योगदान और समर्थन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और सराहना व्यक्त करना चाहता है।

निदेशक इस अवसर पर प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए NRLM, UPSRLM और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और सभी संबंधित लोगों के उत्साहपूर्ण सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी अपनी आभार व्यक्त करता है, जिसके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं होता।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

तारीख: 16 अगस्त 2023

स्थान: वाराणसी

ह/-

सरिता देवी

अध्यक्ष

DIN: 09687193

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

### अभिमत

हमने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के नोट्स और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से प्रदान करते हैं एवं अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों कंपनीस (लेखा मानक) नियम, 2015 एवं संशोधित के साथ पढ़े जाने के संदर्भ में, 31 मार्च, 2023 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कंपनी का रोकड़ प्रवाह आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएँ देते हैं।

### अभिमत के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों (SAs) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं, जो अधिनियमों और नियमों के अधीन बनाए गए प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण कि राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित है।

### वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों कि रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निर्देशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों कि रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारी वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा एस करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्यकथन प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा किए



गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्यकथन है तो उस तथ्य कि जानकारी देना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

### **वित्तीय विवरणों के लिए के प्रबंधन के उत्तरदायित्व**

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जोकि लेखांकन मानकों एवं आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफॉर्मंस) तथा कंपनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए धोखा धड़ी एवं अन्य अननियमिताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा-अभिलेखों के रख रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबन्धित दायित्व सम्मिलित है जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उसका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाए रखना है जिससे कंपनी के वित्तीय लेख, कंपनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाज़ी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत तथ्यों से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की निरंतरता के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबन्धित विषयों के लिए उत्तरदायी है और निरंतरता के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन, कंपनी को बेचने या इसके परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निर्देशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

### **अंकेषकों का उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं और एक अंकेषक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है लेकिन यहा यह दावा नहीं है कि SAS के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियाँ जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा समूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेछेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्यकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्यकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से

अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्यकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।

- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो कि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन ने उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिए प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कंपनी को जारी रखने कि क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को संशोधित करना। हमारे निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को जारी संस्था के रूप में काम करने में रुकावट उत्पन्न कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अभिशासन से संबन्धित, अन्य मामलों के अलावा, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गयी हैं, को सम्मिलित करते हैं।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं मामलों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

**अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट, हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, लागू सीमा तक, देते हैं।

2. (ए) अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

बी. हमारी राय में, जहां तक उन लेख पुस्तकों की जांच से पता चलता है, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं।

सी. हमारी राय में इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

डी. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत लेखांकन मानकों के अनुरूप करते हैं।

इ. 31 मार्च, 2023, को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2023 को रिकॉर्ड के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

एफ. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी रिपोर्ट देखें।

जी. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक सी" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

**(बी)** कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:

ए) कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2023 तक कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है। वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 30 देखें।

बी) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

घ) (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (ऋण ली गयी धनराशि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से)

• प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की ओर या कंपनी के आधार पर पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार नहीं दिया गया या निवेश किया गया ("अंतिम लाभार्थी")

• अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान नहीं की गयी।

(ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित कंपनी द्वारा, चाहे वह समझ में दर्ज की गई हो या लिखित रूप से या अन्यथा, किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

• प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार दें या निवेश करें ("अंतिम लाभार्थी")

• अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना; और ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपधारा (डी) (i) और (डी) (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

ई) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 में कहा गया है, निर्देशक मंडल ने पूरी तरह से भुगतान किये गए इक्विटी शेयरों पर भुगतान किये जाने वाले अंतिम लाभंश का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित लाभंश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभंश अधिनियम की धारा 123, जैसा लागू हो, के अनुसार है।

एफ) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान केवल 1 अप्रैल 2023 से कंपनी के लिए लागू हैं, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग उपयुक्त नहीं है।

(सी) अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा चालू वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

**एन. आर. & एसोसिएट्स के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN: 23508592BGMTXH6186

स्थान: दिल्ली

तारीख: 16 अगस्त, 2023

## काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ए

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए वित्तीय विवरणों पर काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को समतारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(i) (ए) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अन्य अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:

ए) कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

बी) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(सी) कंपनी के पास फ्रीहोल्ड या लीज होल्ड भूमि और भवन की कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए सी ए आर ओ (CARO) 2016 के खंड (i)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। .

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) (ए) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है, और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उचित थे। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जोकि इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक हो।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण, सुरक्षित या अग्रिम के रूप में कोई अग्रिम वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों प्रदान नहीं किया है।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसके

अलावा, कंपनी ने दिए गए ऋण और किए गए निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया।

v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (डेपोसिट्सकी स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डेपोसिट्स स्वीकार नहीं किए और साथ ही अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के तहत वर्ष की शुरुआत में कोई अनधियाचित डेपोसिट्स नहीं लिये। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। कंपनी ने जनता से कोई डेपोसिट्स या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे डेपोसिट्स माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत इसके द्वारा निर्मित उत्पादों (और/या इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं) के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(vi) लागू नहीं होती है।

vii) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर (GST) सहित अविवादित वैधानिक बकाया के संबंध में खाते की किताबों में कटौती / अर्जित राशि, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किए जा रहे हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं था।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, प्रोविडेंट फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या अन्य वैधानिक का कोई बकाया नहीं है जोकि विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया हो।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेनदेन का खुलासा नहीं किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में कर निर्धारण खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया।

ix) ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(ई) लागू नहीं है।

डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है। तदनुसार, खंड आदेश का 3(ix)(एफ) लागू नहीं है।

x) ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने शेरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3x(बी) में निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

xi) क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया या रिपोर्ट किया गया कि ऑडिटिंग पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में ऑडिटर्स द्वारा केंद्र सरकार के साथ दायर नहीं किया गया है।

ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।

xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं, और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।

xiv) ए) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान हैं कंपनी पर लागू नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi) ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं है।

बी) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(बी) लागू नहीं है।

ग) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सी आई सी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) लागू नहीं होता है।

घ) ऑडिट के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(d) की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii) हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात और वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और प्रबंधन योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर के देय या मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, जब भी उनका बकाया हो।

xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और 3(xx)(बी) लागू नहीं होते हैं।

xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

**एन. आर. & एसोसिएट्स के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN: 23508592BGVTXH6186

स्थान: दिल्ली

तारीख: 16 अगस्त, 2023



## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता अनुभाग पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 (ए) (एफ) के संदर्भित)

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ-साथ 31 मार्च 2023 तक काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "मार्गदर्शन नोट" में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल थी।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी, मौजूद जोखिम का आंकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रचना और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आंकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ।**

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए रचनात्मक की गई प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (ii) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। ; और (iii) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

#### **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएँ**

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों को ओवरराइड करने की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन की डिग्री के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

#### **अभिमत**

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण, वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, स्थापित मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है।

**एन. आर. & एसोसिएट्स के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN: 23508592BGVTXH6186

स्थान: दिल्ली

तारीख: 16 अगस्त, 2023

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 7 में संदर्भित 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग')

- i. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋण की राशि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 17 में बताई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण के नोट नंबर 17 में बताए गए किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. 31 मार्च, 2023 को नकद और नकद समक्ष को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई विसंगति सत्यापित नहीं की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2023 को संपत्तियों और देनदारियों का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या अभिधान नहीं दी है।

एन. आर. & एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या: 508592  
UDIN: 23508592BGVTXH6186

स्थान: दिल्ली

तारीख: 16 अगस्त, 2023

# काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट

विवरण	नोट सं.	लाख रुपये में	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
<b>A. इक्विटी और देनदारियां</b>		<b>रुपए</b>	<b>रुपए</b>
<b>1. शेयरधारक की निधि</b>			
(a) शेयर पूंजी	3	71.43	0.64
(b) भंडार और अधिशेष	8	254.45	0.42
		<b>325.88</b>	<b>1.06</b>
<b>2. शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन</b>	42	5.01	-
<b>3. आस्थगित अन्दान</b>	9	616.02	72.21
<b>4. गैर-वर्तमान देनदारियां</b>			
(a) दीर्घकालिक उधार			
(b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
(c) अन्य दीर्घकालिक देयताएं			
(d) दीर्घकालिक प्रावधान	10	-	-
		5.35	1.11
<b>5. वर्तमान देनदारियां</b>			
(a) अल्पकालिक उधार			
(b) व्यापार देय	11	-	-
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि।		38.29	
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		223.79	18.01
(c) अन्य वर्तमान देयताएं	12	228.33	169.07
(d) अल्पकालिक प्रावधान	13	12.29	1.58
		<b>502.70</b>	<b>188.66</b>
<b>कुल</b>		<b>1,454.97</b>	<b>263.04</b>
<b>B. संपत्ति</b>			
<b>1. गैर-चालू परिसंपत्तियां</b>			
(a) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	554.48	66.03
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	5	4.74	4.18
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6	82.50	73.72
(iv) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
(b) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	14	2.97	-
(c) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		-	-
(d) अन्य गैर-चालू आस्तियां	15	2.70	-
		<b>647.39</b>	<b>143.93</b>
<b>2. वर्तमान संपत्ति</b>			
(a) इन्वेंटरी	16	64.38	0.91
(b) व्यापार प्राप्तियां	17	312.12	12.05
(c) नकद और नकद समतुल्य	18	424.19	104.89
(d) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	19	3.20	0.73
(e) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	3.69	0.54
		<b>807.58</b>	<b>119.11</b>
<b>कुल</b>		<b>1,454.97</b>	<b>263.04</b>
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स देखें।	2		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और उनके ओर से

एन आर एंड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
FRN: 312101E

sd/-  
मनवीर सिंह  
निदेशक और सी ई  
DIN:09442343

sd/-  
सरिता देवी  
निदेशक  
DIN:09687193

महआ भद्राचार्य  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या: 508592

sd/-  
ममता सिंह  
निदेशक  
DIN:09395184

sd/-  
प्रियंका सत्यवती  
कंपनी सचिव  
M.No.A45196

स्थान:  
दिनांक

स्थान: वाराणसी  
दिनांक: 16 अगस्त 2023

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण	नोट सं.	लाख रुपये में	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
		रुपए	रुपए
1. परिचालन से राजस्व	21	3,164.84	18.47
2. अन्य आय	22	497.82	42.74
<b>3. कुल राजस्व (1 + 2)</b>		<b>3,662.66</b>	<b>61.21</b>
<b>4. खर्च</b>			
(a) व्यापार में स्टॉक की खरीद	23	2,874.56	17.96
(b) खरीद व्यय	24	159.46	2.45
(b) खरीद व्यय	25	(58.98)	(0.91)
(c) कर्मचारी लाभ व्यय	26	161.60	19.82
(d) वित्त लागत	27	0.37	-
(e) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		-	-
(f) अन्य व्यय	28	273.37	21.40
<b>कुल खर्च</b>		<b>3,410.36</b>	<b>60.72</b>
<b>5. कर पूर्व लाभ (3-4)</b>		<b>252.29</b>	<b>0.50</b>
<b>6. कर व्यय</b>			
(a) वर्तमान कर		1.22	0.08
(b) आस्थगित कर		(2.97)	-
(c) पिछले वर्षों से संबंधित लघु/(अतिरिक्त) आयकर		-	-
शुद्ध कर व्यय (a+b+c)		(1.74)	0.08
<b>7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)</b>		<b>254.04</b>	<b>0.42</b>
<b>प्रति इक्विटी शेयर आय</b> (अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर)			
(a) मूल	33	791	247
(b) डाइल्यूटिड		791	247
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स देखें	2		
<b>संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में</b>		<b>निर्देशक मण्डल के लिए और उनके और से</b>	
एन आर एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट FRN: 312101E		sd/- मनवीर सिंह निर्देशक और सी ई DIN:09442343	sd/- सरिता देवी निर्देशक DIN:09687193
महेश भट्टाचार्य पार्टनर सदस्यता संख्या: 508592		sd/- ममता सिंह निर्देशक DIN:09395184	sd/- प्रियंका सत्यवली कंपनी सचिव M.No.A45196
स्थान: दिनांक		स्थान: वाराणसी दिनांक: 16 अगस्त 2023	

## काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक (रुपये)	'31 मार्च, 2022 तक (रुपये)
<b>A. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	254.04	0.42
<b>समायोजन:</b>		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में वृद्धि	4.24	1.11
वित्त लागत	-	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	-	-
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री पर हानि / (लाभ)	-	-
अनुदान से ब्याज आय	-	-
<b>कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन लाभ</b>	<b>258.28</b>	<b>1.53</b>
<b>कार्यशील पूंजी में आवाजाही के लिए समायोजन</b>		
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(3.15)	(0.54)
इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि)	(63.47)	(0.91)
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(300.07)	(12.05)
ऋण और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(2.47)	(0.73)
व्यापार देय में (कमी)/ वृद्धि	244.08	18.01
अन्य वर्तमान देनदारियों में (कमी)/ वृद्धि	59.26	169.07
अल्पावधि प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि	10.70	1.58
<b>परिचालन से उत्पन्न नकदी</b>	<b>(55.13)</b>	<b>174.44</b>
निवल आयकर (भुगतान)/धनवापसी	-	-
<b>परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (A)</b>	<b>203.15</b>	<b>175.97</b>
<b>B. गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
संपत्ति, संयंत्र उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों पर व्यय जिसमें सीडब्ल्यूआईपी (उपयोग किए गए पूंजीगत अनुदान का शुद्ध) शामिल है	(350.84)	(71.72)
परिसंपत्तियों का निपटान	396.86	-
प्राप्त ब्याज	-	-
प्रावधान- गैर वर्तमान	(5.67)	-
<b>निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (B)</b>	<b>40.36</b>	<b>(71.72)</b>
आयकर का भुगतान	-	-
<b>C. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
इक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्त आय	75.79	0.64
दोधकालिक उधारों से प्राप्त आय	-	-
चुकाया गया ब्याज	-	-
लाभंश का भुगतान	-	-
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (C)</b>	<b>75.79</b>	<b>0.64</b>
<b>नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (A+B+C)</b>	<b>319.30</b>	<b>104.89</b>
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकद समतुल्य	104.89	-
वर्ष के अंत में नकदी और नकद समतुल्य	<b>424.19</b>	<b>104.89</b>
<b>नकदी और नकद समतुल्य के घटक निम्नानुसार हैं</b>		
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी और नकद समतुल्य	424.19	104.89
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समतुल्य (नोट 15)	424.19	104.89

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स देखें

2

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निर्देशक मण्डल के लिए और उनके और से

एन आर एंड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
FRN: 312101E

sd/-  
मनवीर सिंह  
निर्देशक और सी ई  
DIN:09442343

sd/-  
सरिता देवी  
निर्देशक  
DIN:09687193

महेश भट्टाचार्य  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या: 508592

sd/-  
ममता सिंह  
निर्देशक  
DIN:09395184

sd/-  
प्रियंका सत्यवली  
कंपनी सचिव  
M.No.A45196

स्थान:  
दिनांक

स्थान: वाराणसी  
दिनांक: 16 अगस्त 2023

## काशी मिल्क प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

### वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

#### 1. कॉर्पोरेट जानकारी

काशी मिल्क प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को 11 नवंबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत शामिल किया गया था।

कंपनी ने 9 मार्च, 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में खरीद कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी वाराणसी और उसके आसपास के गांवों में "मिल्क प्लिंग पॉइंट" (एमपीपी) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और इसे खुले बाजार में मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य डेयरियों को बेचती है।

#### 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

##### a. लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जी ए ए पी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

##### b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के रूप में परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा में अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / साकार होते हैं।

##### c. राजस्व मान्यता

खरीदारों को महत्वपूर्ण जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों के हस्तांतरण पर बिक्री को मान्यता दी जाती है, रिटर्न और व्यापार छूट का शुद्ध, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

##### d. अन्य आय

जमा राशियों पर ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, सदस्यों से प्रवेश शुल्क को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है और राजस्व अनुदान का उपयोग उपार्जन आधार पर किया जाता है।

##### e. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

अचल आस्तियों को लागत, कम संचित मूल्यहास/परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत में किसी भी व्यापार छूट और छूट का खरीद मूल्य शुद्ध, कोई भी आयात शुल्क और अन्य कर (बाद में कर अधिकारियों से वसूली योग्य करों के अलावा), संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और संपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक योग्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज शामिल है। अचल संपत्तियों की खरीद/पूरा होने के बाद उन पर किए जाने वाले व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इस तरह के व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभ में उसके पूर्व मूल्यांकन किए गए प्रदर्शन मानक से अधिक वृद्धि होती है।

##### f. पूंजी का कार्य प्रगति पर

परिसंपत्तियां अभी तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और उत्तरदायी ब्याज शामिल हैं।

##### g. मूल्यहास और परिशोधन

- (i) परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार मूर्त अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी रेखा विधि पर किया गया है। संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति के अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थितियों, प्रतिस्थापन के पिछले इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तनों, निर्माताओं की वारंटी और रखरखाव सहायता आदि को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी सलाह के आधार पर परिसंपत्तियों के जीवन का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

संपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवन
दूध के कैंस	4 साल
संयंत्र और मशीनरी	10 साल
कंप्यूटर	3 साल
फर्नीचर और फिक्स्चर	10 साल
कार्यालय उपकरण	3 साल
सॉफ्टवेयर	1 साल

- (ii) अचल संपत्तियों का शेष मूल्य 1 रुपये प्रति संपत्ति पर बरकरार रखा जाता है।

**h. परिसंपत्तियों की हानि**

यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है तो हानि के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर परिसंपत्तियों/नकदी सृजनक इकाइयों के वहन मूल्यों की समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हानि के लिए परीक्षण किया जाता है, भले ही कोई संकेत न हो कि संपत्ति बिगड़ा हुआ है: (ए) एक अमूर्त संपत्ति जो अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है; और (बी) एक अमूर्त संपत्ति जो उस तारीख से दस साल से अधिक की अवधि में परिशोधन की जाती है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

यदि परिसंपत्तियों की वहन राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए एक हानि को मान्यता दी जाती है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य एक उपयुक्त छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर प्राप्त किया जाता है।

जब इस बात का संकेत मिलता है कि पहले की लेखांकन अवधियों में किसी परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो

**i. इनवेंटरीस**

अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रदान करने के बाद इन्वेंट्री को लागत के कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है, जहां आवश्यक माना जाता है। भारत औसत विधि का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए सभी शुल्क शामिल हैं।

**j. अनुदान**

सरकार के अनुदान और सब्सिडी को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन होता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान / सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे संपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, अर्थात् ऐसे अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यहास को आस्थगित अनुदान से विनियोजित किया जाता है और कम मूल्यहास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के राज्य में मान्यता प्राप्त होती है।

राजस्व अनुदान और सब्सिडी को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**k. कर्मचारी लाभ**

**a अल्पावधि**

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अछूती राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल है जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की लागत निम्नानुसार है:

(ए) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो भविष्य में क्षतिपूत अनुपस्थिति की पात्रता को बढ़ाती हैं; और (ख) गैर-संचित प्रतिपूत अनुपस्थिति के मामले में, जब अनुपस्थिति होती है।

**b दीर्घकालिक**

कंपनी के पास परिभाषित-योगदान और परिभाषित-लाभ योजनाएं दोनों हैं। परिभाषित लाभ योजना में विशेष धन या प्रतिभूतियों में कुछ संपत्तियां होती हैं और योजना कंपनी द्वारा वित्तपोषित होती है।

**i. परिभाषित-योगदान योजनाएं**

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और इसे आवश्यक योगदान की राशि के आधार पर व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है और जब कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।



**ii. परिभाषित-लाभ योजनाएं**

ग्रेच्युटी फंड के रूप में परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। पिछली सेवा लागत को तुरंत इस हद तक पहचाना जाता है कि लाभ पहले से ही निहित हैं और अन्यथा औसत अवधि में सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है जब तक कि लाभ निहित न हो जाएं। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत के लिए समायोजित किया गया है, जैसा कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम हो गया है। इस गणना से उत्पन्न कोई भी संपत्ति पिछले सेवा लागत तक सीमित है, साथ ही उपलब्ध रिफंड का वर्तमान मूल्य और योजनाओं में भविष्य के योगदान में कटौती।

**iii. अन्य कर्मचारी लाभ**

क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, को बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

**I. आय पर कर**

वर्तमान कर लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है।

कर कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भविष्य के आयकर देयता के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है यदि इस बात के ठोस सबूत हैं कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को बैलेंस शीट में एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है, कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अधिनियमित या ठोस रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय के अंतर के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अवशोषित मूल्यहास के अलावा अन्य मदों के समय के अंतर के लिए मान्यता दी जाती है और नुकसान को केवल उस हद तक आगे बढ़ाया जाता है जब उचित निश्चितता मौजूद होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, यदि अवशोषित मूल्यहास होता है और नुकसान को आगे बढ़ाया है, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब ठोस सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता हो, कि परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं एक ही शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

भंडार में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान और आस्थगित कर को भंडार में मान्यता दी जाती है, न कि लाभ और हानि के विवरण में।

**m. प्रावधान और आकस्मिकताएं**

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोटों में किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है।

**n. उधार लेने की लागत**

उधार लेने की लागत में ब्याज, सहायक लागतों का परिशोधन और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। निधियों के उधार के संबंध में लागत, जो सीधे योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित नहीं है, ऋण की अवधि में लाभ और हानि के विवरण से ली जाती है। अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ होने से लेकर ऐसी परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों के लिए आर्बिट्रिज और उपयोग की जाने वाली उधार लागतों को परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है। उधार लागत के पूंजीकरण को निलंबित कर दिया जाता है और विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर शुल्क लगाया जाता है जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि बाधित होती है।

**o. प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर पश्चात प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण मदों, यदि कोई हो, के कर पश्चात प्रभाव सहित) को लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए व्यय या आय (किसी भी उत्तरदायी करों का शुद्ध) में समायोजित करके, प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी पतला माना जाता है जब उनके इक्विटी शेयरों में रूपांतरण से सामान्य संचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ कम हो जाएगा। संभावित पतला इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद की तारीख में जारी नहीं किया गया हो।

**p. पट्टों**

पट्टा व्यवस्था जिसमें किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक पट्टेदार के पास निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रचालनपट्टों के अंतर्गत पट्टा किराये को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

**q. नकदी प्रवाह विवरण**

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे असाधारण वस्तुओं और करों से पहले लाभ / (हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या उपाार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

**r. भौतिक घटनाएँ**

बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली भौतिक घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

**s. नकदी और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)**

नकदी में हाथ पर नकदी और बैंकों में मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

**t. ऑपरेटिंग चक्र**

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के सामान्य समय और नकद या नकद समतुल्य में उनकी प्राप्ति के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से 12 महीने के रूप में अपना परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

**काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

**Note 3: शेयर पूंजी**

विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	शेयरों की संख्या	कुल धनराशि (रुपये)	शेयरों की संख्या	कुल धनराशि (रुपये)
(a) अधिकृत शेयर पूंजी रु.100/- के 5,00,000 इकिटी शेयर जारी, सदस्यता और भुगतान	500,000	500	500,000	500
(b) 100/- रुपये के 71428 इकिटी शेयर प्रत्येक पूर्ण चुकता *	71,428	71	643	0.64
<b>नीचे दिए गए नोट्स (i) से (iv) देखें</b>				
<b>(i) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध</b> कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसे इकिटी शेयर कहा जाता है जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा।  सदस्य कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।				
<b>(ii) वर्ष के प्रारंभ में और अंत में बकाया शेयरों का मिलान</b> रु.100/- प्रत्येक के इकिटी शेयर				
विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	643	0.64	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (सरेडर किए गए शेयरों का शुद्ध)	70,785	70.79	643	0.64
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (सरेडर किए गए शेयरों का शुद्ध)	-	-	-	-
साल के अंत में	<b>71,428</b>	<b>71.43</b>	<b>643</b>	<b>0.64</b>
<b>(iii).</b> कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 'निर्माता कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 5% या उससे अधिक हिस्सा नहीं है।				
<b>(iv)</b> वर्ष के दौरान नकद अथवा बोनस के रूप में विचार के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।				

**काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**  
**वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स**

लाख रुपये में

**4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

**4.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नेट) का विवरण निम्नानुसार है:**

**31 मार्च, 2023 तक      31 मार्च, 2022 तक**

a) संयंत्र और मशीनरी	499	47
b) कार्यालय उपकरण	7	1
c) फर्नीचर और फिक्स्चर	22	3
d) कंप्यूटर और लैपटॉप	26	15
<b>TOTAL</b>	<b>554</b>	<b>66</b>

**4.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के बारे में प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:**

लाख रुपये में

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	ऑफिस साधन	संयंत्र और मशीनरी	कुल
<b>सकल ब्लॉक</b>					
<b>1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि</b>	-	-	-	-	-
जोड़	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
निपटान	-	-	-	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>15.08</b>	<b>3.51</b>	<b>0.61</b>	<b>47.70</b>	<b>66.89</b>
जोड़	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
निपटान	-	0.02	-	0.05	0.07
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>36.01</b>	<b>23.39</b>	<b>8.98</b>	<b>555.95</b>	<b>624.33</b>
<b>संचित मूल्यहास</b>					
<b>1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि</b>	-	-	-	-	-
मूल्यहास व्यय	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
निपटान	-	-	-	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>0.49</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.33</b>	<b>0.87</b>
मूल्यहास व्यय	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
निपटान	-	-	-	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>9.78</b>	<b>1.19</b>	<b>1.53</b>	<b>57.35</b>	<b>69.85</b>
<b>वहन राशि</b>					
<b>1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि</b>	-	-	-	-	-
अतिरिक्त	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
निपटान	-	-	-	-	-
मूल्यहास व्यय	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>14.59</b>	<b>3.48</b>	<b>0.59</b>	<b>47.37</b>	<b>66.03</b>
अतिरिक्त	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
निपटान	-	0.02	-	0.05	0.07
मूल्यहास व्यय	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>26.22</b>	<b>22.20</b>	<b>7.45</b>	<b>498.60</b>	<b>554.48</b>
<b>निवल वहन राशि</b>					
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>14.59</b>	<b>3.48</b>	<b>0.59</b>	<b>47.37</b>	<b>66.03</b>
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>26.22</b>	<b>22.20</b>	<b>7.45</b>	<b>498.60</b>	<b>554.48</b>

नोट्स: पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के बारे में प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	ऑफिस साधन	संयंत्र और मशीनरी	लाख रुपये में
					कुल
<b>सकल लागत</b>					
<b>1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि</b>	-	-	-	-	-
अतिरिक्त	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
निपटान	-	-	-	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>15.08</b>	<b>3.51</b>	<b>0.61</b>	<b>47.70</b>	<b>66.89</b>
अतिरिक्त	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
निपटान	-	0.02	-	0.05	0.07
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>36.01</b>	<b>23.39</b>	<b>8.98</b>	<b>555.95</b>	<b>624.33</b>
<b>संचित मूल्यहास</b>					
<b>1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि</b>	-	-	-	-	-
अतिरिक्त	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
निपटान	-	-	-	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>0.49</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.33</b>	<b>0.87</b>
अतिरिक्त	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
निपटान	-	-	-	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>9.78</b>	<b>1.19</b>	<b>1.53</b>	<b>57.35</b>	<b>69.85</b>
<b>निवल बहन राशि</b>					
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>14.59</b>	<b>3.48</b>	<b>0.59</b>	<b>47.37</b>	<b>66.03</b>
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>26.22</b>	<b>22.20</b>	<b>7.45</b>	<b>498.60</b>	<b>554.48</b>

## 5 अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

बहन की गई मात्रा:

सॉफ्टवेयर

कुल

	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सॉफ्टवेयर	4.74	4.18
<b>कुल</b>	<b>4.74</b>	<b>4.18</b>

अमूर्त परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के बारे में प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

31 मार्च, 2023 तक 31 मार्च, 2022 तक

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
	रु. / हजारों	रु. / हजारों
<b>सकल लागत</b>		
<b>ओपनिंग बैलेंस</b>	-	-
अतिरिक्त	4.41	4.41
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>
अतिरिक्त	11.74	11.74
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>
<b>संचित मूल्यहास</b>		
<b>ओपनिंग बैलेंस</b>	-	-
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>

मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>
<b>वहन राशि</b>		
<b>1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि</b>	-	-
अतिरिक्त	4.41	4.41
निपटान	-	-
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>
अतिरिक्त	11.74	11.74
निपटान	-	-
मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>

नोट: पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	लाख रुपये में	
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रु. / हजारों	कुल रु. / हजारों
<b>सकल लागत</b>		
<b>ओपनिंग बैलेंस</b>	-	-
अतिरिक्त	4.41	4.41
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>
अतिरिक्त	11.74	11.74
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>
<b>संचित मूल्यहास</b>		
<b>ओपनिंग बैलेंस</b>	-	-
अतिरिक्त	0.24	0.24
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
अतिरिक्त	11.18	11.18
निपटान	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>
<b>निवल वहन राशि</b>		
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष राशि</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष राशि</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>

**6 कैपिटल कार्य - प्रगति पर**

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
ओपनिंग बैलेंस	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	73.72	-
कम: वर्ष के दौरान पूंजीकरण	405.57	73.72
अंतिम शेष राशि	396.79	-
	<b>82.50</b>	<b>73.72</b>

नोट्स:

(i) कैपिटल कार्य - प्रगति पर काल क्रम अनुसूची

31 मार्च 2023 तक

CWIP	CWIP में कितनी अवधि के लिए राशि है				लाख रुपये में
	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	82.50	-	-	-	82.50
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	<b>82.50</b>	-	-	-	<b>82.50</b>

31 मार्च 2022 तक

CWIP	CWIP में कितनी अवधि के लिए राशि है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	71.90	-	-	-	71.90
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	<b>71.90</b>	-	-	-	<b>71.90</b>

(ii) उपरोक्त परिसंपत्तियों को पूंजीगत अनुदान से खरीदा गया

	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
ओपनिंग बैलेंस	0.00	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	405.21	2.00
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	396.79	-
अंतिम शेष राशि	<b>8.42</b>	<b>2.00</b>



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट

नोट 7 (a) संपत्ति संचय और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

विवरण	सकल ब्लॉक				संकुचित मूल्यहास			लाख रुपये में
	1 अप्रैल, 2022 तक	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	निपटान पर हटा दिया गया	31 मार्च, 2023 तक	नेट ब्लॉक 31 मार्च, 2023 तक
<b>(i) संपत्ति, संचय और उपकरण</b>								
कंप्यूटर और लैपटॉप	14.59	20.93	-	35.52	9.29	-	9.29	26.22
फर्नीचर और फिक्स्चर	3.48	19.91	0.02	23.37	1.17	-	1.17	22.20
कार्यालय उपकरण	0.59	8.38	-	8.97	1.51	-	1.51	7.45
संचय और उपकरण	47.37	508.30	0.05	555.61	57.01	-	57.01	498.60
<b>कुल</b>	<b>66.03</b>	<b>557.51</b>	<b>0.07</b>	<b>623.47</b>	<b>68.99</b>	<b>-</b>	<b>68.99</b>	<b>554.48</b>
<b>(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां</b>								
सॉफ्टवेयर	4.18	11.74	-	15.92	11.18	-	11.18	4.74
<b>कुल</b>	<b>4.18</b>	<b>11.74</b>	<b>-</b>	<b>15.92</b>	<b>11.18</b>	<b>-</b>	<b>11.18</b>	<b>4.74</b>
<b>(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति</b>								
कुल	73.72	405.57	396.79	82.50	-	-	-	82.50
<b>कुल</b>	<b>73.72</b>	<b>405.57</b>	<b>396.79</b>	<b>82.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.50</b>

नोट्स: (i) ग्रांट से खरीदी/उपयोग की गई परिसंपत्तियों की सूची

विवरण	सकल ब्लॉक				संकुचित मूल्यहास			लाख रुपये में
	1 अप्रैल, 2022 तक	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	निपटान पर हटा दिया गया	31 मार्च, 2023 तक	नेट ब्लॉक 31 मार्च, 2023 तक
<b>(i) संपत्ति, संचय और उपकरण</b>								
कंप्यूटर और लैपटॉप		20.93	-	20.93	9.29	-	9.29	11.64
फर्नीचर और फिक्स्चर		19.91	-	19.91	1.17	-	1.17	18.74
कार्यालय उपकरण		8.38	-	8.38	1.51	-	1.51	6.87
संचय और उपकरण		508.30	-	508.30	57.01	-	57.01	451.28
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>557.51</b>	<b>-</b>	<b>557.51</b>	<b>68.99</b>	<b>-</b>	<b>68.99</b>	<b>488.52</b>
<b>(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां</b>								
सॉफ्टवेयर		11.74	-	11.74	11.18	-	11.18	0.56
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>11.74</b>	<b>-</b>	<b>11.74</b>	<b>11.18</b>	<b>-</b>	<b>11.18</b>	<b>0.56</b>
<b>(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति</b>								
कुल		54.73	-	54.73	-	-	-	54.73
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>54.73</b>	<b>-</b>	<b>54.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.73</b>

## काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

### नोट 8: भंडार और अधिशेष

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 त
(a) सामान्य रिजर्व ओपनिंग बैलेंस जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित  अंतिम शेष राशि	0.42 254.04 254.45	- 0.42 0.42
(b) लाभ और हानि खाते के विवरण में अधिशेष बैलेंस शीट की अंतिम तारीख के अनुसार शेष राशि वर्ष के लिए लाभ/ (हानि) कम: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित  अंतिम शेष राशि	254 (254) -	0 (0) -

### Note 9: आस्थगित अनदान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 त
(a) प्रारंभिक शेष (b) जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनदान (नोट संख्या 37 देखें) (c) कम: वर्ष के दौरान निपटाई गई परिसंपत्तियां (d) कम: अनदान से प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास (नोट संख्या 7 देखें) (e) जोड़ें: परिसंपत्तियों के निपटान पर मूल्यहास अंतिम शेष राशि	72.21 623.98 - (80.16) -	73.31 - - (1.10) -
	<b>616.02</b>	<b>72.21</b>

### Note 10 दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 त
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	1.98	0.66
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	3.37	0.45
<b>कुल</b>	<b>5.35</b>	<b>1.11</b>

### Note 11 व्यापार देय

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 त
a. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नीचे)	38.29	-
b. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	223.79	18.01
<b>कुल</b>	<b>262.09</b>	<b>18.01</b>
i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रकटीकरण		
(a) (i) किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि (ii) उस पर देय ब्याज	38 0	- -

(b)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज और नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-			
(c)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज के अलावा भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज	0	-			
(d)	अर्जित ब्याज और शेष बकाया	0	-			
(e)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में भी देय और देय ब्याज	-	-			
<b>ii) व्यापार देय काल क्रम अनुसूची</b>						
		लाख रुपये में				
<b>31 मार्च 2023 तक</b>		<b>1 वर्ष से कम</b>	<b>1-2 साल</b>	<b>2-3 साल</b>	<b>3 साल से अधिक</b>	<b>कुल</b>
(i)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	38.29	-	-	-	38
(ii)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	223.79	-	-	-	224
(iii)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का विवादित बकाया	-	-	-	-	-
(iv)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>		<b>262.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262</b>
<b>31 मार्च 2022 तक</b>		<b>1 वर्ष से कम</b>	<b>1-2 साल</b>	<b>2-3 साल</b>	<b>3 साल से अधिक</b>	<b>कुल</b>
(i)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	-	-	-	-
(ii)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	18.01	-	-	-	18.01
(iii)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का विवादित बकाया	-	-	-	-	-
(iv)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>		<b>18.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.01</b>
नोट: उपरोक्त उम्र बढ़ने की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।						

नोट 12 अन्य वर्तमान देनदारियाँ		लाख रुपये में	
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(a)	कर्मचारियों को देय	3.04	1.49
(b)	शेयर लौटाया गया	0.00	-
(c)	अन्य देय	36.45	0.91
(e)	स्रोत पर देय आयकर कटौती	3.15	2.79
(f)	देय भविष्य निधि	1.41	-
(g)	देय जीएसटी (आईटीसी का निवल)	0.28	0.09
(h)	प्राप्त अनुदान (उपयोग का श्रद्ध) (नोट 34 देखें)	47.44	21.76
(i)	प्रतिभूति जमा	92.10	20.10
(j)	देनदारों से अग्रिम	-	0.03
(k)	अवल संपत्तियों की खरीद के लिए देय	44.08	121.90
(l)	एमएसएमई ब्याज देय	0.37	-
<b>कुल</b>		<b>228.33</b>	<b>169.07</b>
नोट 13 अल्पकालिक प्रावधान		लाख रुपये में	

विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(a) आयकर के लिए प्रावधान* (निवल)		1.22	0.08
(b) उपदान का प्रावधान		0.12	0.00
(c) निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) का प्रावधान		8.35	1.33
(d) बोनस का प्रावधान		2.03	0.10
(e) अवकाश नकदीकरण का प्रावधान		0.56	0.06
<b>कुल</b>		<b>12.29</b>	<b>1.58</b>
<b>नोट 14 आस्थगित कर परिसंपत्तियां</b>			
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
अंतिम बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार शेष राशि/(देयता)		-	-
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन			
- अचल संपत्तियों के बूक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर		-	-
- बोनस, ग्रेज्युटी और लीव इनकेशमेंट के प्रावधान पर		2.97	-
- भविष्य के वर्षों में परिशोधन के लिए उपलब्ध सीमा तक प्रारंभिक व्यय पर		-	-
<b>कुल</b>		<b>2.97</b>	<b>-</b>
<b>Note 15 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम</b>			
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(a) सुरक्षा अग्रिम कार्यालय		2.70	-
(b) सुरक्षा अग्रिम स्टोर		-	-
<b>कुल</b>		<b>2.70</b>	<b>-</b>
<b>नोट 16 सूची</b>			
(कम लागत और शब्द प्रतिपूर्ति योग्य मूल्य पर)			
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(a) कच्चे दूध के व्यापार में स्टॉक		46.18	0.91
(b) पशु चारा, खनिज, विटफेन		13.71	-
(c) रसायन, उपभोग्य वस्तुएं और टैग		4.49	-
		<b>64.38</b>	<b>0.91</b>
<b>नोट 17 व्यापार प्राप्ति</b>			
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
a. सुरक्षित, अच्छा माना गया		-	-
b. असुरक्षित, अच्छा माना गया		312.12	12.05
ii. संदिग्ध			
- बिल		-	-
- बिना बिल के		-	-
c. असुरक्षित, संदिग्ध माना गया		-	-
<b>कुल</b>		<b>312.12</b>	<b>12.05</b>
<b>खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता</b>			
a. सुरक्षित, अच्छा माना गया		-	-
b. असुरक्षित, अच्छा माना गया		-	-
c. असुरक्षित, संदिग्ध माना गया		-	-
		<b>-</b>	<b>-</b>

कुल						312.12	12.05
व्यापार प्राप्तियां काल क्रम अनुसूची							
<b>31 मार्च 2023 तक</b>							
विवरण		6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	लाख रुपये में कुल
(i)	निविदाद व्यापार प्राप्तियां - अच्छा माना गया	312.12	-	-	-	-	312.12
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियां - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
		<b>312.12</b>	-	-	-	-	<b>312.12</b>
<b>31 मार्च 2022 तक</b>							
विवरण		6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	लाख रुपये में कुल
(i)	निविदाद व्यापार प्राप्तियां - अच्छा माना गया	12.05	-	-	-	-	12.05
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियां - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
		<b>12.05</b>	-	-	-	-	<b>12.05</b>
नोट: उपरोक्त काल क्रम लेनदेन की तारीख से की गयी है।							

<b>Note 18 नकद और नकद समतुल्य</b>		लाख रुपये में	
विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
(a) नकद और नकद समकक्ष (i) हाथ में नकदी (ii) बैंकों के पास शेष राशि a) चालू खातों में b) अनुसूचित बैंक के साथ जमा (3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)	- 124.19 300.00	- 104.89 -	
एस 3 के अनुसार नकदी और नकद समतुल्य - नकदी प्रवाह विवरण	<b>424.19</b>	<b>104.89</b>	
(b) अन्य बैंक बैलेंस (i) जमा खातों में (ii) शेष राशि को सुरक्षा के रूप में रखा गया (iii) निर्धारित खातों में	- - -	- - -	
	<b>424.19</b>	<b>104.89</b>	
<b>नोट 19 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना गया)</b>		लाख रुपये में	
विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
(a) विक्रेताओं को अग्रिम (b) प्रीपेड खर्चे	- 3.20	- 0.73	
<b>कुल</b>	<b>3.20</b>	<b>0.73</b>	
<b>नोट 20 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (असुरक्षित, अच्छा माना गया)</b>		लाख रुपये में	
विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
(a) अर्जित ब्याज लेकिन बैंक जमा राशियों पर देय नहीं (b) टीडीएस और अग्रिम कर प्राप्ति (c) सुरक्षा जमा	0.18 2.97 0.54	- - 0.54	
<b>कुल</b>	<b>3.69</b>	<b>0.54</b>	
<b>नोट 21 परिचालन से राजस्व</b>		लाख रुपये में	
विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
<b>व्यापारिक माल</b> (a) कच्चा दूध (b) पशु आहार (c) खनिज मिश्रण (d) माखन घास (e) वेटफेन	3,053.15 105.37 5.97 0.22 0.13	18.47 - - - -	
<b>कुल</b>	<b>3,164.84</b>	<b>18.47</b>	
<b>नोट 22 अन्य आय</b>		लाख रुपये में	
विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
(a) सदस्यों से प्रवेश शल्क (b) अनुदान से आय (c) निविदा शल्क (d) सावधि जमा पर ब्याज	4.55 493.12 - 0.15	0.23 42.43 0.09 -	
<b>कुल</b>	<b>497.82</b>	<b>42.74</b>	
<b>नोट 23 व्यापार में स्टॉक की खरीद</b>		लाख रुपये में	

विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(a) कच्चा दूध		2,763.16	17.96
(b) पशु आहार		101.15	-
(c) खनिज मिश्रण		9.53	-
(d) माखन घास		0.21	-
(e) वेटफेन		0.50	-
<b>कुल</b>		<b>2,874.56</b>	<b>17.96</b>

  

नोट 24 खरीद खर्च		लाख रुपये में	
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
रासायनिक और उपभोग्य सामग्रियों की खपत (नीचे नोट देखें)		5.10	0.60
डीजल का खर्च		27.41	0.71
बीएमसी श्रम शल्क		7.70	0.21
माल आवक		88.70	1.15
दूध प्रोत्साहन - सहायक		21.18	(0.22)
मूल्य प्रोत्साहन		9.37	-
<b>कुल</b>		<b>159.46</b>	<b>2.45</b>
<b>नोट: रसायनों और उपभोग्य सामग्रियों की खपत</b>		<b>लाख रुपये में</b>	
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ओपनिंग स्टॉक		-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान खरीदारी		9.59	0.60
कम: क्लोजिंग स्टॉक		4.49	-
<b>रासायनिक और उपभोग्य की कुल खपत</b>		<b>5.10</b>	<b>0.60</b>

  

नोट 25 स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंट्री में बदलाव		लाख रुपये में	
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
कच्चे दूध के व्यापार में स्टॉक की सूची में कमी/(वृद्धि)			
(a) वर्ष के प्रारंभ में इन्वेंटरी		0.91	-
(b) वर्ष के अंत में इन्वेंटरी		59.89	0.91
<b>इन्वेंट्री में निवल (वृद्धि)/ कमी</b>		<b>(58.98)</b>	<b>(0.91)</b>

  

नोट 26 कर्मचारी लाभ व्यय		लाख रुपये में	
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(a) वेतन और मजदूरी		146.21	18.59
(b) भविष्य निधि और अन्य निधियों के लिए योगदान		7.69	-
(c) ग्रेज्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति		5.63	1.17
(c) कर्मचारी कल्याण व्यय		2.08	0.05
<b>कुल</b>		<b>161.60</b>	<b>19.82</b>

  

नोट 27 वित्त लागत		लाख रुपये में	
विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
एमएसएमई पर ब्याज खर्च		0.37	-
<b>कुल</b>		<b>0.37</b>	<b>-</b>

नोट 28 अन्य खर्च		लाख रुपये में	
विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
माल ढुलाई, कार्टेज और अग्रपण व्यय	86.37	0.49	
बिजली और ईंधन	1.49	0.06	
कृत्रिम गर्भाधान और अन्य पीईएस खर्च	13.69	-	
किराया	7.82	0.87	
दरें और कर	1.58	0.10	
दरें और कर	0.34	-	
रिटेनरशिप, अनुबंध व्यय	73.98	3.52	
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	2.79	0.07	
मरम्मत और रखरखाव - कंप्यूटर	0.82	0.13	
सहायकों को प्रोत्साहन और कमीशन	4.06	-	
जीएसटी और टीडीएस पर ब्याज	0.02	-	
लॉडिंग और अनलॉडिंग शुल्क	0.82	0.03	
यात्रा और परिवहन	29.27	3.44	
प्रशिक्षण का खर्च	1.57	0.22	
परीक्षण शुल्क	0.31	-	
संचार और नेटवर्किंग व्यय	8.70	0.23	
चिलिंग शुल्क	17.17	-	
मुद्रण और स्टेशनरी	10.05	1.17	
अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	0.02	-	
व्यावसायिक शुल्क	7.30	0.81	
बैठक व्यय	1.78	0.56	
विविध व्यय	1.87	0.00	
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (1) देखें)	1.53	0.53	
निगमन पूर्व व्यय	-	9.16	
<b>कुल</b>	<b>273.37</b>	<b>21.40</b>	
<b>नोट 1: लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक</b>			
विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
(a) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.05	0.45	
(b) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	-	
(c) उपर्युक्त पर जीएसटी	0.23	0.08	
<b>कुल</b>	<b>1.53</b>	<b>0.53</b>	



## काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

		31 मार्च, 2023 तक	लाख रुपये में 31 मार्च, 2022 तक
		रुपए	रुपए
<b>29</b>	<b>आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)</b>		
	<b>विवरण</b>		
	<b>आकस्मिक देयताएं</b>		
	कंपनी के खिलाफ दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	Nil	Nil
	<b>प्रतिबद्धताएं</b>		
	पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (शून्य रुपये का अग्रिम भुगतान; पिछले वर्ष शून्य रुपये)	193.97	635.93
		<b>193.97</b>	<b>635.93</b>
<b>30</b>	<b>प्रस्तावित लाभांश</b>		
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने 16 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 5.714 लाख रुपये (8 @Rs प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया जाएगा। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के सभी 71,428 धारकों को देय है।		
<b>31</b>	<b>मुकदमों</b>		
	<b>विवरण</b>	<b>31 मार्च, 2023 तक</b>	<b>लाख रुपये में 31 मार्च, 2022 तक</b>
	किसी भी ग्राहक, सेवा प्रदाता, लेनदारों, कर्मचारियों, सरकारी प्राधिकरण और अन्य हितधारक के साथ लंबित मुकदमेबाजी या विवाद।	रुपए	रुपए
	वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव	Nil	Nil
		Nil	Nil
		-	-
<b>32</b>	कंपनी दूध के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखा मानक (एएस) - 17 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं।		
<b>33</b>	<b>पट्टे की व्यवस्था</b>		
	कंपनी ने परिसर को परिचालन पट्टे पर लिया है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टे के किराये को लेखा मानक 19 (एएस 19) "पट्टों" के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।		
	कंपनी ने कार्यालय परिसर, बीएमसी और स्टोर के लिए चार ऑपरेटिंग लीज व्यवस्था में प्रवेश किया है। परिचालन पट्टे के तहत दायित्व के संबंध में 7.82 लाख रुपये के पट्टा किराये के खर्च को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।		
	<b>भविष्य के न्यूनतम पट्टे भुगतान:</b>	<b>31 मार्च, 2023 तक</b>	<b>लाख रुपये में 31 मार्च, 2022 तक</b>
	<b>विवरण</b>	<b>रुपए</b>	<b>रुपए</b>
	देय 1 वर्ष से अधिक नहीं	5.83	3.77
	1 वर्ष से बाद में लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं	-	-
		<b>5.83</b>	<b>3.77</b>
<b>34</b>	<b>प्रति इक्विटी शेयर कमाई</b>		
	<b>विवरण</b>	<b>इकाई</b>	<b>31 मार्च, 2023 तक</b>
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रु	254.04
	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	नंबर	0.32
	प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य		100
	प्रति शेयर मूल कमाई		790.78
	इक्विटी शेयरों का उपयोग प्रति शेयर पतला आय की गणना करने के लिए किया जाता है		0.32
	प्रति शेयर कम कमाई		790.78
			0.42
			0
			100
			247
			0
			247

**35 "कर्मचारों लाभ" पर संशोधित लेखा मानक 15 (एएस -15) के अनुसार प्रकटीकरण**

**A. परिभाषित योगदान योजना**

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है, जो सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित योगदान का भुगतान करते हैं। योगदान आम तौर पर कर्मचारी के वेतन के अनुपात का पता लगाने पर आधारित होता है।

भविष्य निधि योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है

	31 मार्च, 2023 तक	लाख रुपये में 31 मार्च, 2022 तक
	रुपए	रुपए
	7.69	-

**B. परिभाषित लाभ योजना**

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारियों के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। ग्रेच्युटी योजना के मामले में, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित धन में योगदान करती है। वर्ष के अंत में प्रतिबद्धताओं को बीमाकिक रूप से निर्धारित किया जाता है। एक्ज्यूरियल मूल्यांकन "अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीसीए) एक्ज्यूरियल मेथड" के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमाकिक मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण पर लगाया जाता है।

ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति।

लाख रुपये में

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	रुपए	रुपए

**i. निर्योक्ता व्यय का प्रकटीकरण**

वर्तमान सेवा लागत	1.72	0.66
ब्याज लागत	0.04	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
बीमाकिक हानि (लाभ)	(0.22)	-
बकाया ग्रेच्युटी का भुगतान	0.12	-
पी एंड एल में शामिल परिभाषित लाभ लागत	1.65	0.66

**ii. बीमाकिक (लाभ)/हानि का विश्लेषण**

डीबीओ में जनसांख्यिकीय धारणा परिवर्तन के कारण बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-
डीबीओ में वित्तीय धारणा परिवर्तनों के कारण बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-
डीबीओ पर अनुभव समायोजन के कारण बीमाकिक (लाभ)/हानि	(0.22)	-
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (अधिक)/छूट दर से कम	-	-
प्रतिभूति अधिकारों पर वापसी (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन/भारी देयता (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-
<b>कुल बीमाकिक (लाभ)/हानि</b>	<b>(0.22)</b>	<b>-</b>

**iii. शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त**

वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
वित्तरहित दायित्व का वर्तमान मूल्य	1.98	0.66
वित्त पोषित स्थिति [(घाटा)]	(1.98)	(0.66)
गैर-मान्यता प्राप्त पिछले सेवा लागत	-	-
संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि	-	-
बकाया ग्रेच्युटी का भुगतान	(0.12)	-
निवल देयता	(1.98)	(0.66)
बी एस में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	(2.10)	(0.66)

**iv. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन**

पीवीओ (वित्त रहित योजना)	मौजूदा	0.0036	0.0026
	गैर चाल	1.9765	0.6676

<b>v. समाप्त होने वाली अवधि में दायित्व में परिवर्तन</b>		
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (उद्घाटन)	0.66	-
ब्याज लागत	0.04	-
वर्तमान सेवा लागत	1.72	0.66
पूर्व सेवा लागत	-	-
समझौता	-	-
योजना से भुगतान के लाभ	-	-
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(0.22)	-
अधिग्रहण/विनिवेश/स्थानान्तरण	-	-
बीमाकिक (लाभ)/हानि	(0.22)	-
बकाया ग्रेच्युटी का भुगतान	0.12	-
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)	<u>2.10</u>	<u>0.66</u>
<b>vi योजना परिसंपत्तियों के उद्घाटन और समापन मूल्यों का मिलान</b>		
शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (प्रारंभिक)	-	-
ओपनिंग वेल्थ में अंतर	-	-
नियोक्ता का योगदान	-	-
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.22	-
योजना प्रतिभागियों का योगदान	-	-
परिसंपत्तियों की अपेक्षित ब्याज आय	-	-
स्थानान्तरण में / अधिग्रहण	-	-
स्थानान्तरण बाहर/स्थानान्तरण	-	-
जोखिम लाभ के लिए बीमा प्रीमियम	-	-
फंड मैनेजर द्वारा निपटान	-	-
योजना से भुगतान के लाभ	-	-
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(0.22)	-
योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए प्रशासनिक व्यय / कर	-	-
बीमाकिक लाभ/(हानि)	-	-
विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>(vii) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति / (देयता) का मिलान</b>		
वर्ष की शुरुआत में निवल देयता / (परिसंपत्तियां)	(0.66)	-
राशि पहचानी नहीं गई	-	-
नियोक्ता व्यय को छोड़कर	(1.54)	(0.66)
नियोक्ता का योगदान	-	-
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.22	-
अधिग्रहण/विनिवेश	-	-
सीमा का प्रभाव	-	-
बकाया ग्रेच्युटी का भुगतान	(0.12)	-
वर्ष के अंत में निवल देयता / (परिसंपत्तियां)	<u>(2.10)</u>	<u>(0.66)</u>
<b>viii समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियोक्ता व्यय का प्रकटीकरण</b>		
<b>नियोक्ता व्यय के घटक</b>		
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.66	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1.98	0.66
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1.32	0.66
कंपनी से सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.22	-
योजना से भुगतान के लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न	-	-
"समाप्ति की लागत लाभ/अधिग्रहण / हस्तांतरण की लागत", "प्रशासनिक व्यय / कर / बीमा लागत / विनिमय दर", "राशि असंपत्तिनीय	-	-
लाभ/हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	1.54	0.66
बकाया ग्रेच्युटी का भुगतान	0.12	-
वर्तमान वर्ष में P&L	<u>1.65</u>	<u>0.66</u>
<b>ix. प्रधान बीमाकिक धारणाएं</b>		
छूट दर	7.52% p.a.	7.52% p.a.
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	-	-
वेतन वृद्धि दर	7.00% p.a.	7.00% p.a.
नौकरी छोड़ने की दर	5.00% p.a.	5.00% p.a.



	31 मार्च, 2023 तक	लाख रुपये में 31 मार्च, 2022 तक
	रुपए	रुपए
<b>C. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए वीमांकिक धारणाएं (छट्टी देयता)</b>		
<b>i. आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.51	-
शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समाप्त)	3.82	0.51
मूल्यांकन अवधि के दौरान देयता में शुद्ध वृद्धि	3.31	-
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(0.32)	-
योजना से भुगतान के लाभ	-	-
समाप्ति लाभ / अधिग्रहण / हस्तांतरण की लागत	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न	-	-
अवैतनिक बकाया अवकाश	0.12	-
पी एंड एल में शामिल परिभाषित लाभ लागत	3.75	0.51
<b>(ii) बैलेंस शीट में दर्शित निवल परिसंपत्ति / (देयता)</b>		
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	3.82	0.51
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]	(3.82)	(0.51)
गैर-मान्यता प्राप्त पिछले सेवा लागत	-	-
संपत्ति के रूप में अमान्य राशि	-	-
निवल देयता	(3.82)	(0.51)
अवैतनिक बकाया अवकाश	(0.12)	-
बैलेंस शीट में मान्य	(3.94)	(0.51)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	3.56	0.48
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.26	0.03
<b>iii. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन</b>		
पीवीओ (वित्त रहित योजना)		
	वर्तमान	0.45
	गैर - वर्तमान	3.37
		0.06
		0.45
<b>बैलेंस शीट में मान्य निवल परिसंपत्ति / (देयता)</b>		
प्रारम्भिक अवधि में मान्य निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(0.51)	0.51
नियोक्ता का खर्च	(3.63)	-
नियोक्ता का योगदान	-	-
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.32	-
अधिग्रहण/विनिवेश	-	-
सीमा का प्रभाव	-	-
अवैतनिक बकाया अवकाश	0.12	-
	(3.94)	0.51
<b>v. प्रधान वीमांकिक धारणाएं</b>		
छूट दर	7.52% p.a.	7.52% p.a.
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	-	-
वेतन वृद्धि	7.00% p.a.	7.00% p.a.
नौकरी छोड़ने की दर	5.00% p.a.	5.00% p.a.
Mortality Table Used	I.A.L.M. (2012-14) Ultimate	

**36 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:****A. संबंधित पक्षों के नाम और संबंधों की प्रकृति**संबंधों की प्रकृति  
मुख्य प्रबंधन कार्मिकव्यक्ति का नाम  
डॉ. मनवीर सिंह  
(मुख्य कार्यकारी  
और निदेशक)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

प्रियंका सत्यावली  
कंपनी सचिव**B. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन**लाख रुपये में  
रुपये में राशि

वर्ष के दौरान लेन-देन

KMP

कुल

**1. आय**

-

-

-

**2. खर्च**

प्रबंधकीय पारिश्रमिक

34.15  
(8.53)34.15  
(8.53)

व्यय प्रतिपूर्ति

0.35  
(0.10)0.35  
(0.10)**3. वर्ष के अंत में शेष राशि**

देय व्यय

-

-

\* ब्रैकेट में आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को इंगित करते हैं

**37 अनुदान का विवरण:**

उप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त अनुदान का विवरण और इसका उपयोग निम्नानुसार है;

	31 मार्च, 2023 तक	लाख रुपये में 31 मार्च, 2022 तक
	रुपए	रुपए
a शेष अर्जित	21.76	-
b वर्ष के दौरान प्राप्त	1,141.75	137.50
c अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज		-
प्राप्त ब्याज	0.84	
अर्जित ब्याज और देय	0.19	
d वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
-संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लिए (net of recoveries)	552.38	21.07
- पूंजीगत प्रगति कार्य के लिए	54.73	2.00
- राजस्व व्यय के लिए	409.51	30.40
कुल उपयोग	1,016.62	53.48
e वापस किया गया	-	-
f अप्रयुक्त अनुदान	147.72	84.02
g कम: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान किए गए पात्र परिचालन व्यय का उपयोग अनुदान से किया गया	83.61	12.02
कम: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान किए गए पात्र पूंजीगत व्यय का उपयोग अनुदान से किया गया	16.87	50.24
शेष अर्जित (f-g)	47.44	21.76

नोट 1: पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को स्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को अन्य आय के तहत दिखाया गया है।

**38 हानि क्षति**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लेखा मानक '28' के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर अचल परिसंपत्तियों पर कोई हानि क्षति नहीं हुई।

**39** प्रबंधन की राय में लेनदारों के खातों में शेष राशि सही है और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दर्शाई गई सीमा तक देय है।

**40** खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एएस-17 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से कच्चे दूध की बिक्री के एकल व्यवसाय खंड में काम करती है और एक भौगोलिक क्षेत्र में काम करती है।

41 अतिरिक्त नियामक जानकारी: अनुपात				
अनुपात	प्रमाणक	भाजक	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
Current ratio (in times)	ऋण वर्तमान संपत्ति	कुल वर्तमान देनदारियाँ	1.61	0.63
Debt-Equity ratio (in times)	उधार और पट्टे की देनदारियाँ सहित ऋण	कुल इक्विटी	-	-
Debt service coverage ratio (in times)	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य गैर-नकद आय/उपेक्षा	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टे का भुगतान + मूलधन का पुनर्भुगतान	-	-
Return on equity ratio (in %)	वर्ष के लिए लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई भी)	औसत कुल इक्विटी	155%	39%
Inventory turnover ratio	बेचे गए माल की लागत	औसत इन्वेंट्री	104.46	37.41
Trade receivables turnover ratio (in times)	परिचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्ति	19.53	3.07
Trade payables	शुद्ध ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	23.78	1.99
Net capital turnover ratio (in times)	परिचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी (यानी कुल वर्तमान संपत्ति कम कुल वर्तमान देनदारियाँ)	10.38	(0.27)
Net profit ratio (in %)	वर्ष के लिए लाभ	परिचालन से राजस्व	6.89	0.82
Return on capital employed (in %)	कर और वित्त लागत से पहले लाभ	नियोजित पूंजी = निवल मूल्य + पट्टा देनदारियाँ + स्थगित कर देनदारियाँ	77%	47%
Return on investment (in %)	निवेशित निधियों से उत्पन्न आय	देजरी निवेश में औसत निवेशित धनराशि	-	-

#### 42 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

वर्ष के दौरान कंपनी को 75794 इक्विटी शेयरों @ 100 रुपये के लिए 7579400 रुपये की राशि की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से कंपनी ने 70,785 इक्विटी शेयर @ 100 रुपये प्रत्येक के लिए 70,78,500 रुपये आवंटित किए हैं। 31.03.2023 तक 5009 शेयरों @ 100 रुपये प्रत्येक के लिए 5,00,900 रुपये की शेयर आवेदन राशि आवंटन के लिए लंबित थी। 31.03.2023 को कंपनी की कुल जारी और चुकता पूंजी 71,42,800 रुपये है, जबकि 5,00,000 शेयरों के लिए अधिकृत पूंजी 5,00,00,000 रुपये @ 100 रुपये है। आवंटन के लिए लंबित उपरोक्त शेयर आवेदन राशि आवेदन राशि की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवंटित की जाएगी।



**43 अन्य प्रकटीकरण / मामल**

- (i) **कंपनियों के साथ संबंध:**  
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है।
- (ii) **अघोषित आय**  
ऐसी कोई आय नहीं है जिसका बही-खातों में खुलासा नहीं किया गया हो। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अवधि के दौरान अघोषित आय में से किसी को भी सरंजत नहीं किया जाता है या आय के रूप में प्रकट नहीं किया जाता है।
- (iii) **क्रिपो मुद्रा या आभासी मुद्रा का विवरण:**

क्रिपो मुद्रा या आभासी मुद्रा से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि	31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रखी गई मुद्रा की राशि	31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
क्रिपो मुद्रा / आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम	31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

- (iv) **बेनामी संपत्ति का विवरण**  
31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- (v) **इरादतन चूककर्ता**  
किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान ने होलिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों को "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित नहीं किया है।
- (vi) **कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण:**  
लागू नहीं है।
- (vii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("कोड") को 29 सितंबर 2020 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो कुछ रोजगार लाभों के लिए समूह के योगदान को प्रभावित कर सकता है। परिवर्तन लागू होने की प्रभावी तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है और नियम भी बनाए जाने बाकी हैं। परिवर्तन के प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन किया जाएगा और प्रासंगिक प्रावधानों की अधिसूचना की अवधि में हिसाब लगाया जाएगा।
- (viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत उल्लिखित राशियों के संबंध में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- (ix) निदेशक मंडल की राय में, 31 मार्च 2023 तक बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली सभी वर्तमान परिसंपत्तियों और दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों का कंपनी के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, कम से कम उस राशि के बराबर वसूली पर मूल्य है, जिस पर उन्हें वित्तीय विवरणों में बताया गया है। निदेशक मंडल की राय में, इन शेष राशियों की वसूली के खिलाफ कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (x) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक नुकसान नहीं था।
- (xi) वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।
- (xii) **उत्तरगामी घटनाएँ**  
रिपोर्टिंग की तारीख के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।
- 44 पिछले वर्ष के तदनुसूची अंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्संयोजित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

**निर्देशक मण्डल के लिए और उनके और से**

sd/-  
**मनवीर सिंह**  
निर्देशक और सी ई  
DIN:09442343

sd/-  
**सरिता देवी**  
निर्देशक  
DIN:09687193

sd/-  
**ममता सिंह**  
निर्देशक  
DIN:09395184

sd/-  
**प्रियंका सत्यवती**  
कंपनी सचिव  
M.No.A45196

स्थान: वाराणसी  
दिनांक: 16 अगस्त 2023

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन नं. U01409UP2021PTC155262;  
पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,  
पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002  
ईमेल: [info@kasheemilk.com](mailto:info@kasheemilk.com); टेलीफोन नंबर: 0542-4085526

### सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की तीसरी वार्षिक आम बैठक शनिवार, 16 सितंबर 2023 को होटल "द पर्ल", पंचकोशी रोड, रामसिंहपुर, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 221105 में दोपहर 12:00 बजे, निम्नलिखित व्यवसाय हेतु आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च 2023 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना और उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टको अपनाना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:

"संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2023 को ऑडिट की गई बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, इसके द्वारा अनुमोदित और अपनाया गया है।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषणा करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना :-.

"संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के अर्जित लाभ में से रुपये 8/- प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), रुपये 100 के 71,428 इक्विटी शेयरों पर पूरी तरह से भुगतान किया गया, जिसमें रुपये 5,71,424 शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इसे मंजूरी दी गई है और इसकी पुष्टि की गई है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में अंकित थे।

3. श्रीमती बबीता (DIN:09395185), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और आर्टिकल संख्या 9.6 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती बबीता (DIN: 09395185) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए

उत्तरदायी हैं, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनके स्थान पर श्रीमती प्रतिमा देवी (DIN: 10290499) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

4. **श्रीमती आराधना (DIN: 09395183) , जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378Z और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्या 9.6 की शर्तों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लेखों के अन्य लागू प्रावधानों (उस समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती आराधना (डीआईएन:9395183) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं और उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जाता है और परिणामी रिक्ति को भरा नहीं जाता है।"

5. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) की नियुक्ति पर विचार करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प लिया गया है कि, श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) जिन्हें 28 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

6. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237) की नियुक्ति पर विचार करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प लिया गया है कि, श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237) जिन्हें 28 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

7. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती ममता देवी (DIN: 10180142) की नियुक्ति पर विचार करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“यह संकल्प लिया गया है कि, श्रीमती ममता देवी (DIN: 10180142) जिन्हें 28 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

**8. कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती अंजना सिंह (DIN: 10190931) की नियुक्ति पर विचार करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“यह संकल्प लिया गया है कि, श्रीमती अंजना सिंह (DIN: 10190931) जिन्हें 30 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

**9. वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना।**

निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके बिना विचार करने और अनुमोदित करने के लिए:

“यह संकल्प लिया गया है कि, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से समक्ष रखा गया, को अनुमोदित किया गया।”

**10. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलावों पर विचार करना और उन्हें मंजूरी देना और यदि उचित समझा जाए तो विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित करना:**

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI-ए के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-1 और धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों सहित, कंपनी के एसोसिएशन के मौजूदा लेख, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति निम्नलिखित तरीके से और सीमा तक कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में बदलाव के लिए दी गई है:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 4.1 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.1 कंढनी में महिला निर्माता सदस्य के रूप में हो सकती हैं।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि उपरोक्त परिवर्तनों से पहले कंढनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्रवाइयां और चीजें एतद्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

आगे संकल्प लिया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंढनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया गया है जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: वाराणसी  
दिनांक: 16.08.2023

SD/-  
डॉ. मनवीर सिंह  
मुख्य कार्यकारी

## नोटिस

1. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य हाथ उठाकर मतदान के साथ-साथ स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी को सदस्य होना चाहिए कंपनी का। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत पूरा करके, मुहर लगाकर और हस्ताक्षरित करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक रिक्त प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
2. प्रत्येक सदस्य को कंपनी में उसकी शेयरधारिता या संरक्षण के बावजूद केवल एक वोट (हाथ उठाकर और मतदान पर) मिलेगा।
3. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:
  - i. प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में योग्यता विवरण सहित निदेशक के पद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम;
  - ii. 26 अगस्त 2022 को आयोजित पिछली एजीएम का कार्यवृत्त
  - iii. 31 मार्च, 2023 तक की ऑडिटेड बैलेंस शीट और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।
  - iv. वित्तीय वर्ष-2023-2024 का बजट भी संलग्न है।
4. जिस सदस्य को कंपनी के खतों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो, उसे बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजने का अनुरोध किया जाता है।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और सदस्य कोड उद्धृत करें।
6. व्याख्यात्मक विवरण में मद संख्या के संबंध में सभी भौतिक तथ्य बताए गए हैं। संलग्न नोटिस का क्रमांक 5 इसके साथ संलग्न है।
7. संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज़ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
8. बोर्ड द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च 2022 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में अंकित होंगे।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत कंपनी को सूचित करें।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तारीख से सात साल के भीतर संलग्न/दावा नहीं किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। (आईईपीएफ)। उक्त राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के बाद, इस संबंध में आईईपीएफ या कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी पहचान के लिए एजीएम स्थल पर कंपनी द्वारा जारी अपना आईडी कार्ड लेकर आएं।

12. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।

**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4) (सी) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण**

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती प्रतिमा देवी	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती श्यामलता सिंह	पशुपालन	12वीं
श्रीमती मंशा कुमारी	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती ममता देवी	पशुपालन	12वीं
श्रीमती अंजना सिंह	पशुपालन	स्नातक

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: वाराणसी

दिनांक: 16.08.2023

SD/-

डॉ. मनवीर सिंह  
मुख्य कार्यकारी



## व्याख्यात्मक कथन

### **मद संख्या 05:**

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़े गए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) को 28 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद पर बने रहते हैं।

बोर्ड का मानना है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती श्यामलता सिंह की नियुक्ति वांछनीय है और यह कंपनी के लिए लाभदायक होगी और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 5 की सिफारिश करता है।

श्रीमती श्यामलता सिंह को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार उक्त समाधान में किसी भी तरह से संबन्धित या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड इस संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

### **मद संख्या 06:**

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़े गए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237) को 28 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद पर बने रहते हैं।

बोर्ड का मानना है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती मंशा कुमारी की नियुक्ति वांछनीय है और यह कंपनी के लिए लाभदायक होगी और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 5 की सिफारिश करता है।

श्रीमती मंशा कुमारी को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार उक्त समाधान में किसी भी तरह से संबन्धित या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड इस संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

### **मद संख्या 07:**

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़े गए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार श्रीमती ममता देवी (DIN: 10180142) को 28 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद पर बने रहते हैं।

बोर्ड का मानना है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती ममता देवी की नियुक्ति वांछनीय है और यह कंपनी के लिए लाभदायक होगी और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 5 की सिफारिश करता है।

श्रीमती ममता देवी को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार उक्त समाधान में किसी भी तरह से संबन्धित या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड इस संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

#### **मद संख्या 08:**

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़े गए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार श्रीमती अंजना सिंह (DIN: 10190931) को 28 मई 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद पर बने रहते हैं।

बोर्ड का मानना है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती अंजना सिंह की नियुक्ति वांछनीय है और यह कंपनी के लिए लाभदायक होगी और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 5 की सिफारिश करता है।

श्रीमती अंजना सिंह को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार उक्त समाधान में किसी भी तरह से संबन्धित या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड इस संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

#### **मद संख्या 10:**

निदेशक मंडल ने 21.11.2021 को आयोजित अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया है कि केवल महिला उत्पादकों को कंपनी के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। इसे देखते हुए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मौजूदा आर्टिकल 4.1 को नीचे दिए गए अनुसार बदलने का प्रस्ताव है: -

मौजूदा अनुच्छेद 4.1 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

अनुच्छेद 4.1 कंपनी के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत महिला निर्माता हो सकती हैं।

निदेशक मंडल ने 22.07.2023 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378 I के अनुसार अपेक्षित बहुमत के साथ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इसलिए, विशेष संकल्प में विस्तृत प्रस्तावित परिवर्तनों की सिफारिश बोर्ड द्वारा कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन के लिए की जाती है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 10 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदारों को कंपनी के सदस्य के अलावा किसी भी तरह से समाधान में रुचि नहीं है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड					
बजट 2023-2024					
राजस्व बजट					
क्र.सं.	विवरण	इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 22- 23	दृष्टिकोण वित्तीय वर्ष 22-23	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 23-24
(I)	दूध खरीद मात्रा	(कि ग्रा प्रतिदिन)	33,627	17,465	82,709
(II)	दूध परिचालन से राजस्व	(लाख रुपये में)	5,681.52	2,971.48	17,434.36
(III)	उत्पादक को भुगतान	(लाख रुपये में)	5,253.00	2,705.15	16,013.41
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रुपये में)	126.26	42.40	367.48
(V)	सहायक भुगतान	(लाख रुपये में)	58.65	-	179.42
(VI)	लॉजिस्टिक लागत	(लाख रुपये में)	279.15	182.99	679.96
(VII)	अन्य दूध खरीद लागत	(लाख रुपये में)	437.56	256.93	692.24
(VIII)	निश्चित लागत	(लाख रुपये में)	533.61	162.14	816.97
(IX)	अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ/(हानि)	(लाख रुपये में)	<b>(1,006.70)</b>	<b>(378.13)</b>	<b>(1,315.12)</b>
(X)	अनुदान सहायता - दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	1,137.01	496.51	1,436.29
(XI)	अन्य आय	(लाख रुपये में)	11.40	14.26	20.66
(XII)	अनुदान सहायता के बाद दूध संचालन से लाभ/(हानि)	(लाख रुपये में)	<b>141.71</b>	<b>132.63</b>	<b>141.84</b>
कैपेक्स बजट					
क्र.सं.	विवरण	इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 22- 23	दृष्टिकोण वित्तीय वर्ष 22- 23	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 23-24
	दूध संचालन		<b>1,158.54</b>	-	<b>787.73</b>
(I)	एमपीपी सेटअप	(लाख रुपये में)	713.85		494.98
(II)	बीएमसी सेटअप	(लाख रुपये में)	86.52		22.40
(III)	एमसीसी सेटअप	(लाख रुपये में)	54.00		7.68
(IV)	क्लस्टर कार्यालय सेटअप	(लाख रुपये में)	20.60		16.85
(V)	प्रधान कार्यालय सेटअप	(लाख रुपये में)	50.00		46.63
(VI)	आईसीटी	(लाख रुपये में)	133.56		79.19
(VII)	बिक्री और विपणन अवसंरचना	(लाख रुपये में)	100.00		120.00
<b>B</b>	<b>पी ई एस ऑपरेशन</b>		<b>73.00</b>	-	<b>56.37</b>
(I)	3 लीटर क्रायो कंटेनर	(लाख रुपये में)	8.06		5.00
(II)	35 लीटर क्रायो कंटेनर	(लाख रुपये में)	18.04		11.01
(III)	55 लीटर परिवहन क्रायो कंटेनर	(लाख रुपये में)	8.80		5.30
(IV)	तरल नाइट्रोजन साइलो	(लाख रुपये में)	30.00		30.00
(V)	बड़ा वीर्य भंडारण कंटेनर	(लाख रुपये में)	4.50		2.82
(VI)	छोटे वीर्य भंडारण कंटेनर	(लाख रुपये में)	3.60		2.24
<b>I</b>	<b>कुल पूंजीगत व्यय</b>	<b>(लाख रुपये में)</b>	<b>1,231.53</b>	-	<b>844.10</b>
II	कुल पूंजीगत व्यय अनुदान	(लाख रुपये में)	1,231.53	-	844.10

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की दूसरी वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त शुक्रवार, 26 अगस्त 2022 को दोपहर 12:00 बजे होटल विक्रम पैलेस 66, सेंट्रल जेल रोड, छोटा चुप्पेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221003 (स्थगित आम सभा 12:30 बजे)

---

उपस्थित:

1	श्रीमती अंजू देवी	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2	श्रीमती बबीता	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
3	श्रीमती ममता सिंह	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
4	श्रीमती आराधना	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
5	श्रीमती सरोज कुमारी	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
6	श्रीमती विंदू देवी	शेयरधारक
7	श्रीमती आरती	शेयरधारक
8	डॉ. मनवीर सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
9	श्रीमती प्रियंका सत्यवाली	कंपनी सचिव

ए. श्रीमती. अंजू देवी ने अध्यक्ष का पद निर्वहन किया और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

बी. इसलिए, कंपनी सचिव श्रीमती प्रियंका सत्यवाली ने कहा कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 271 इक्विटी शेयर रखने वाले 32 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 4191 इक्विटी शेयर रखने वाले 779 शेयरधारक अपने प्रॉक्सी के माध्यम से प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (9) के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम 811 सदस्यों का है।

सी. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि कोरम मौजूद है।

डी. कंपनी सचिव ने कहा कि प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ई. अध्यक्ष ने कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों, निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही शुरू की।

एफ. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, दूसरी वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस, जो पहले ही सदस्यों को वितरित किया जा चुका था, पढ़ा हुआ माना गया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष की निर्देश पर, कंपनी सचिव श्रीमती प्रियंका सत्यवाली ने बैठक के एजेंडे की मर्दों को के मर्दों को एक-एक करके उठाया:

बैठक में निम्नलिखित कार्य किये गये:

1. 31 मार्च 2022 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण और इस संबंध में निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अनुमोदन करना और निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।

1.1 कंपनी सचिव श्रीमती प्रियंका सत्यवाली ने खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पढ़ी।

1.2 तत्पश्चात, सदस्यों ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया।

श्रीमती रेखा (फोलियो नंबर: 0000065) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या 2<sup>nd</sup> AGM: 26.08.2022:1/2022-23**

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2022 की ऑडिटेड बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।

श्रीमती उषा देवी (फोलियो नं.:0000178) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. श्रीमती अंजू देवी (डीआईएन 09395092), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

आसमा बेगम (फोलियो नंबर: 0000021) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या. 2<sup>nd</sup> AGM: 26.08.2022:02/2022-23**

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती अंजू देवी (डीआईएन 09395092) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति को श्रीमती संगीता देवी (DIN: 09687721) को निदेशक के रूप में नियुक्ति से भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती अनीता (फोलियो नं.:0000248) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती सरोज कुमारी (डीआईएन 09395186), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।:

श्रीमती सुमित्रा देवी (फोलियो नंबर: 0000358) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या. 2nd AGM: 26.08.2022:3/2022-23**

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सरोज कुमारी (डीआईएन 09395186) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति को श्रीमती सरिता देवी (DIN: 09687193) को निदेशक के रूप में नियुक्ति से भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती सुनीता (फोलियो नं.: 0000031) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

श्रीमती सुषमा पाल (फोलियो नंबर:0000209) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या. 4<sup>th</sup> AGM: 26.08.2022: 4/2022-23**

" संकल्प लिया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से समक्ष रखा गया था और इसे अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती शांति देवी (फोलियो नंबर: 0000743) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलावों पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव पारित करना:

श्रीमती संगीता देवी (फोलियो नंबर: 0000599) ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या No. 2nd AGM: 26.08.2022: 5/2022-23**

“संकल्प लिया गया कि अधिनियम के भाग XXI-ए के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR, धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, जिसमें इसके तहत बनाए गए नियम और जापन के लागू प्रावधान शामिल हैं और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी के साथ कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित तरीके और सीमा तक बदला जाएगा:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.13 i. बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, बशर्ते कि कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन हों। उपरोक्त के बावजूद, यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है तो निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक नहीं हो पाती है, तो कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई तारीख, समय और स्थान के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी। हालाँकि, स्थगित बैठक अध्यक्ष द्वारा मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर बुलाई जाएगी।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 4.3. iii. परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे सदस्य के रूप में हटाने के लिए कंपनी द्वारा एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में निर्णय लेगा।

हालाँकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंड से छूट दे सकता है।

**आगे संकल्प लिया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।**

**यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया गया है जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।**

श्रीमती सरिता देवी (फोलियो नं.: 0000324) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. बैठक में लेन-देन के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

**Sd/-**

**श्रीमती सरिता देवी**

**(अध्यक्षा)**